प्रकाशन का 43 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई-पेपर

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

www.facebook.com/shailshamachar

वर्ष 43 अंक - 48 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 26 - 03 दिसम्बर 2018 मूल्य पांच रूपए

आसान नही होगी लोस चुनावों में जयराम सरकार की राह

शिमला/शैल। भाजपा 2019 के लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुट गयी है। इसका पहला खुलासा मण्डी में हुए पहले पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन में उस समय सामने आया जब प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती और फिर गृह मन्त्री राजनाथ सिंह ने मण्डी से मौजूदा सांसद राम स्वरूप शर्मा को यहां से पुनः प्रत्याशी बनाये जाने की घोषणा की। मण्डी के इस सम्मेलन में केन्द्रिय मन्त्री जगत प्रकाश नड्डा और पंडित सुखराम शामिल नही थे और सुखराम ने इस सम्मेलन में राम स्वरूप को घोषित किये जाने पर यह कहकर सवाल उठा दिया कि सत्ती को नाम की घोषणा करने का कोई अधिकार नही है। पंडित सुखराम के इस एतराज का इतना असर हुआ कि सत्ती को सोलन में अपना यह ब्यान वापिस लेना पड़ा और साथ ही यह कहना पड़ा कि लोकसभा प्रत्याशीयों की घोषणा हाईकमान ही करेगा। मण्डी मुख्यमन्त्री जयराम का गृह जिला है। विधानसभा चुनावों में जब सुखराम परिवार को भाजपा में शामिल करके उनके बेटे अनिल शर्मा को टिकट दिया गया था तभी भाजपा मण्डी की दसों सीटों पर अपना कब्जा कर पायी थी। मण्डी में पंडित सुखराम परिवार का अपना एक प्रभाव है यह बहुत पहले से प्रमाणित हो चुका है। इसी प्रभाव के चलते सुखराम अपने पौत्र को भी सक्रिय राजनीति में उतारना चाहते हैं और इसके लिये उन्होने लोकसभा टिकट दिये जाने की मांग रख दी है। स्मरणीय है कि उनके पौत्र ने विधानसभा चुनावों से बहुत पहले ही यह घोषित कर दिया था कि वह कांग्रेस के टिकट पर सिराज से चुनाव लड़ेंगे। इसके लिये उन्होंने कांग्रेस हाईकमान की स्वीकृति मिलने का दावा करते हुए यहां तक कह दिया कि पंडित सुखराम उनके लिये चुनाव प्रचार करेंगे।

लेकिन यह होने से पहले सुखराम परिवार भाजपा में शामिल हो गया। परन्तु इस सबसे यह स्पष्ट हो ही जाता है कि सुखराम अपने पौत्र को चुनावी राजनीति में उतारना चाहते हैं। इसके लिये लोकसभा चुनावों से ज्यादा बेहतर कोई मौका हो नही सकता। सूत्रों की माने तो सुखराम के लोग तो चुनाव प्रचार अभियान में जुट गये हैं अब यहां पर यह सवाल खड़ा होता है कि मण्डी के इस सम्मेलन में सत्ती और राजनाथ सिंह ने जो नाम की घोषणा कर दी क्या यह सब मुख्यमन्त्री की जानकारी और उनके विश्वास में लिये बिना किया जा सकता था शायद नहीं। पंडित सुखराम अपने पौत्र के अभियान में जुट गये हैं क्या इसकी जानकारी जयराम की सीआईडी ने उनको नही दी होगी। जबकि जंजैहली काण्ड को लेकर धूमल और जयराम सरकार के बीच जिस तरह के ब्यानों की नौबत आ गयी थी उसके बाद से तो मण्डी पर सीआईडी का ज्यादा फोकस रहा होगा। बल्कि जब मण्डी से मुख्यमन्त्री की पत्नी डाक्टर साधना ठाकुर की उम्मीदवारी की चर्चा उठी थी तब उस चर्चा को सुखराम के काऊंटर के रूप में देखा गया था। इस परिदृश्य में राजनीतिक पंडितों का मानना है कि मण्डी में अन्ततः सुखराम के पौत्र और मुख्यमन्त्री की पत्नी दोनों में से किसी के हाथ यह टिकट लगेगा। यदि सुखराम टिकट की लड़ाई हार जाते हैं तो उसके बाद उनकी अगली रणनीति क्या होगी इस पर अभी से नज़रें लग गयी हैं।

इसी तर्ज पर इस बार कांगड़ा में भी टिकट को लेकर रोचक दृश्य देखने को मिलेगा। शान्ता कुमार एक बार फिर चुनाव के लिये तैयार हैं लेकिन इस बार यहां से विद्यार्थी परिषद भी प्रबल दावेदारी कर रही है। इस समय कांगड़ा से भाजपा के प्रदेश संगठन मन्त्री पार्टी कार्यालय को कन्ट्रोल करके बैठे हैं तो यहीं से प्रदेश के संघ प्रमुख भी हैं। इस तरह कांगड़ा में चार-चार सत्ता केन्द्र हो गये हैं। संघ प्रमुख संजीवन ने सचिवालय में सरकारी बैठकों में भी शिरकत करनी शुरू कर दी है। जिससे स्पष्ट हो जाता है कि संघ अब सीधे तौर पर भी सरकार पर नज़र रखने लग गया है। यदि कांगड़ा में सत्ता के इन चारों केन्द्रो में एक सहमति न हो पायी तो यहां पर पार्टी की राह आसान नही होगी।

हमीरपुर में यदि उम्मीदवारी अनुराग या स्वयं धूमल में से ही किसी की होती है तो यहां पार्टी की स्थिति काफी सुखद रह सकती है। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से ऊना में यह प्रचार सामने आया है कि यदि सत्ती जीत गये होते तो वह इस बार मुख्यमन्त्री होते। इसी के साथ यह भी जोड़ा जा रहा है कि हमीरपुर से सत्ती को भी हाईकमान उम्मीदवार बना सकती है। वीरभद्र ने यहां से कांग्रेस में राजेन्द्र राणा का नाम घोषित कर दिया है। वीरभद्र और जयराम के रिश्ते आम आदमी में चर्चा में हैं। फिर पिछले दिनों राजेन्द्र राणा और जयराम में हुआ संवाद भी चर्चा में आ चुका है। माना जा रहा है कि हमीरपुर का सारा सियासी गणित इन रिश्तों के गिर्द ही घूमेगा।

शिमला में भाजपा महिला उम्मीदवार की तलाश में है क्योंकि वर्तमान सांसद वीरेन्द्र कश्यप के मामले में आरोप तय होने के बाद अभियोजन पक्ष की गवाहियां चल रही हैं। कश्यप का मामला उच्च न्यायालय के निर्देशों पर ट्रायल कोर्ट में पहुंचा है। इस तर्क पर यहां से महिला उम्मीदवार की बात की जा रही है। लेकिन संयोगवश जो भी महिला चेहरे इस दौड़ में माने जा रहे हैं वह अपने-अपने क्षेत्र तक ही सीमित हैं। इस नाते यहां पर सबसे ज्यादा सशक्त उम्मीदवार एचएन कश्यप को माना जा रहा है। क्योंकि 2004 में पहला चुनाव हारने के बाद वह लगातार लोगों से संपर्क बनाये हुए हैं और पूर्व प्रशासनिक अधिकारी होने का भी उन्हे लाभ है। यदि किसी भी गणित में वह नज़रअन्दाज होकर घर बैठ जाते हैं तो उनका बैठना मात्र ही पार्टी पर भारी पड़ेगा। वैसे तो वह इस बार हर हाल में चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं और उनके समर्थकों ने भी इसका अनुमोदन कर दिया है। पार्टी के भीतर उभर रही इन स्थितियों के परिणाम दूरगामी होंगे। इसी परिदृश्य में सरकार के पास इस एक वर्ष के कार्यकाल में कोई बड़ी उपलब्धि भी नहीं है। अभी सरकार एक वर्ष पूरा होने पर बड़ा जश्न मनाने जा रही है। इस मौके पर सभी विभाग अपनी-अपनी एक वर्ष की उपलब्धियों का ब्योरा पोस्टर छापकर जनता के सामने रखने जा रहा है। हर विभाग इस आश्य के तीस-तीस हजार पोस्टर छापेगा। इन पोस्टरों में जो कुछ दर्ज रहेगा उसकी पड़ताल जनता आसानी से कर लेगी क्योंकि आरटीआई के माध्यम से ही तथ्य जनता के सामने आ जायेंगे। अभी सरकार के उपर जो पत्र बमों के हमले अपने ही लोगों ने किये हैं वह पहले ही जनता के सामने हैं और कल तो बड़े पैमाने पर यह जनता में चर्चा का विषय बनेंगे ही। एक वर्ष के कार्यकाल में सरकार अधिकांश में अधिकारियों के तबादलों में ही व्यस्त रही है और अन्त में जो नियुक्तियां /तबादले सामने आये हैं उनसे सरकार की कार्यशैली और नीयत दोनों पर ही गंभीर सवाल भी खड़े हो गये हैं। इस परिदृश्य में लोकसभा चुनाव जयराम सरकार के लिये कड़ी परीक्षा होने जा रहे हैं।

केन्द्र के आदेश के परिदृश्य में क्या चौधरी का चयन ट्रिब्यूनल के लिये हो पायेगा

शिमला/शैल। प्रदेश के प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में करीब एक वर्ष से सदस्यों के दो पद खाली चले आ रहे हैं। इन पदों को भरने के लिये तीन बार आवेदन भी आमन्त्रित किये गये। इस पर कई लोग अपने आवेदन भेज भी चुके हैं लेकिन किसी -न-किसी कारण से इसके लिये चयन नहीं हो पाया। यह चयन तीन सदस्यों की एक कमेटी ने करना था और यह तीन सदस्य होते हैं प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश, ट्रिब्यूनल के चेयरमैन और मुख्य सचिव। इस कमेटी के सामने सारे आवेदनों को रखना और कमेटी की बैठक आयोजित करवाना यह जिम्मेदारी मुख्यसचिव की रहती है। सरकार भी मुख्यसचिव के माध्यम से ही अपने पसन्द के आदमी की सिफारिश कमेटी में करवाती है। ऐसे में मुख्य सचिव की भूमिका अन्य दो सदस्यों से थोड़ी अलग हो जाती है क्योंकि जिन लोगों ने इसके लिये आवेदन कर रखे हैं उनका पिछला सर्विस रिकॉर्ड कैसा रहा है, किसी के खिलाफ कभी कोई मामला तो खड़ा नहीं हुआ। यह सब जानकारी मुख्यसचिव के माध्यम से ही कमेटी के सामने आयेगी। इसमें यह मुख्य सचिव के अधिकार में रहता है कि वह पूरी जानकारी कमेटी के सामने रखें या ना रखें।

इन पदों के लिये वरिष्ठ नौकरशाह ही अधिकांश में आवेदन करते हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बार इन पदों के लिये आवेदन करने वालों में कई अतिरिक्त मुख्यसचिव तथा कुछ मुख्यसचिव स्तर के लोग आवेदकों में शामिल हैं। वहां यह भी गौरतलब है कि कांग्रेस शासन के दौरान कई अधिकारियों के नाम एचपीसीए के खिलाफ बनाये गये मामलों में शामिल रहे हैं। एच पी सी ए के खिलाफ दर्ज एफआईआर और उसके आधार पर दायर हुये चालान को सर्वोच्च न्यायालय रद्द कर चुका है। लेकिन धर्मशाला कॉलेज के आवासीय परिसर को गिराये जाने को लेकर दर्ज हुई एफआईआर को सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द नही किया है। इस प्रकरण में भी कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के नाम शामिल रहे हैं। इनमें से भी कुछ शायद इन पदों के आवेदकों में शामिल हैं।

इसी के साथ जब प्रदेश में कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की वरीयता को नज़रअन्दाज करके उनसे कनिष्ठ को मुख्यसचिव बना दिया था तब नज़रअन्दाज हुए अधिकारियों ने कैट में इस नियुक्ति को चुनौती दे दी थी। इस चुनौती देने के बाद कैट ने यह निर्देश दिये थे कि वरिष्ठ अधिकारियों को भी कनिष्ठ के बराबर ही वेतन भत्ते और सुविधायें दी जायें। लेकिन कैट ने इस नियुक्ति को रद्द नही किया था। कैट में चुनौती देने वालों को यह कहा था कि वरीयता के संद्धर्भ में वह अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को करें। कैट ने यह आदेश 13-10-2017 को किया था और इसकी अनुपालना में विनित चौधरी ने अपना प्रतिवेदन भारत

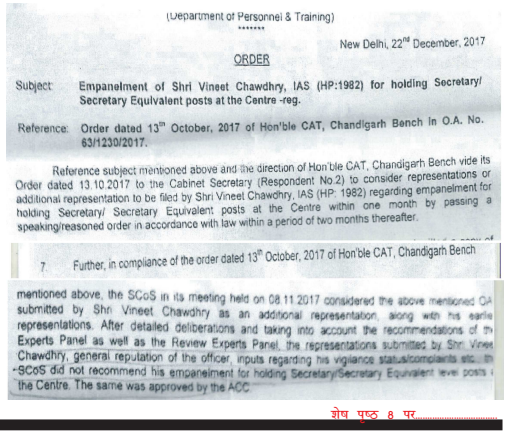

(Department of Personnel & Training)

New Delhi, 22nd December, 2017

ORDER

Subject: Empanelment of Shri Vineet Chawdhry, IAS (HP:1982) for holding Secretary/ Secretary Equivalent posts at the Centre -reg.

Reference: Order dated 13th October, 2017 of Hon'ble CAT, Chandigarh Bench in O.A. No. 63/1230/2017.

Reference subject mentioned above and the direction of Hon'ble CAT, Chandigarh Bench vide its Order dated 13.10.2017 to the Cabinet Secretary (Respondent No.2) to consider representations or additional representation to be filed by Shri Vineet Chawdhry, IAS (HP: 1982) regarding empanelment for holding Secretary/ Secretary Equivalent posts at the Centre within one month by passing a speaking/reasoned order in accordance with law within a period of two months thereafter.

7. Further, in compliance of the order dated 13th October, 2017 of Hon'ble CAT, Chandigarh Bench mentioned above, the SCoS in its meeting held on 08.11.2017 considered the above mentioned OA submitted by Shri Vineet Chawdhry as an additional representation, along with his earlier representations. After detailed deliberations and taking into account the recommendations of the Experts Panel as well as the Review Experts Panel, the representations submitted by Shri Vineet Chawdhry, general reputation of the officer, inputs regarding his vigilance status/complaints etc., the SCoS did not recommend his empanelment for holding Secretary/Secretary Equivalent level posts in the Centre. The same was approved by the ACC.

शेष पृष्ठ 8 पर.....

एक वर्ष की उपलब्धियों पर मेगा समारोह का आयोजन धर्मशाला में

शिमला/शैल। वर्तमान राज्य सरकार का एक वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर इस दौरान हासिल की गई शानदार उपलब्धियों पर कांगड़ा जिला के धर्मशाला में एक मेगा समारोह का

आयोजन किया जाएगा। समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने इस आयोजन के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना, मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना, मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना, राज्य सरकार की विभिन्न पेंशन योजनाएं, मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना, मदर टेरेसा मातृ असहाय सम्बल योजना, बेटी है अनमोल, राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना, जन मंच, कौशल विकास योजना तथा मुख्यमंत्री आवास जैसी विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को समारोह में आमंत्रित किया जाएगा। इसके अलावा उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत इत्यादि केन्द्रीय योजनाओं के लाभार्थियों को भी समारोह में आमंत्रित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवसर पर राज्य और केन्द्र की विभिन्न योजनाओं को उजागर करने वाली प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। राज्य सरकार की उपलब्धियों को उजागर करने वाली पुस्तिका का भी इस अवसर पर विमोचन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अपने एक वर्ष के कार्यकाल के दौरान हासिल उपलब्धियों पर एक वृतचित्र भी बनाया जाएगा।

अतिरिक्त मुख्य सचिव सूचना एवं जन सम्पर्क डॉ. श्रीकान्त बाल्दी ने बैठक कार्यवाही का संचालन किया।

मुख्य सचिव बी.के. अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा नन्दा, अनिल खाची, मनोज कुमार तथा आई.डी. धीमान, प्रधान सचिव जे.सी. शर्मा और ओंकार शर्मा, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव संजय कुण्डू, सचिव देवेश कुमार, डॉ.आर.एन. बत्ता, निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

राज्यपाल को हिमाचल हिन्दु जागरण मंच ने दिया ज्ञापन

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश हिन्दु जागरण मंच ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से आग्रह किया है कि केंद्र सरकार हिन्दुओं की आस्था से जुड़े श्री राम जन्म स्थान अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए संसद में अध्यादेश लाकर मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त करे।

इस बाबत, हिन्दु जागरण मंच, हिमाचल प्रदेश के एक प्रतिनिधिमण्डल ने राजभवन में मंच के अध्यक्ष काश्मीर चंद सडयाल के नेतृत्व में राज्यपाल आचार्य देवव्रत से भेंट कर उनके माध्यम से प्रधानमंत्री को मंदिर निर्माण बारे एक ज्ञापन दिया।

ज्ञापन के माध्यम से हिन्दु जागरण मंच ने इस बात पर चिंता जताई कि राजनैतिक सर्वसम्मति से मंदिर निर्माण की संभावनाएं कम नजर आ रही हैं जबकि माननीय न्यायालय से भी इस मामले में संभावनाएं बहुत कम हैं। इसी प्रकार हिन्दु मुस्लिम समुदायों की आपसी सहमति बनने के भी आसार कम हैं। इसलिए विश्व हिन्दु परिषद् व संत समाज दोनों मिलकर देश भर में आन्दोलन चला रहे हैं ताकि केंद्र सरकार संसद में कानून अथवा अध्यादेश लाकर मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त हो सके। हिमाचल प्रदेश हिन्दु जागरण मंच ने अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिन्दु परिषद् के आंदोलन का समर्थन किया है, जिसके

लिए प्रदेश के हर जिले में मंच की जिला ईकाइयां जन जागृति आंदोलन चला रही है ताकि मंदिर का निर्माण शीघ्र आरम्भ किया जा सके।

हिमाचल में बनेंगे तीन और एकलव्य स्कूल

शिमला/शैल। केन्द्रीय जनजातीय विकास राज्य मंत्री जसवंत सिन्ह भाभोर ने कहा कि भारत सरकार हिमाचल प्रदेश को राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में रह रहे लोगों के कल्याण के लिए विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों के संचालन के लिए उदार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। राज्य जनजातीय विकास विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होने आश्वासन दिया कि केन्द्रीय जनजातीय मंत्रालय सिरमौर जिला के ट्रांस गिरी क्षेत्र के हाटी समुदाय को जनजातीय घोषित करने की राज्य की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि केन्द्र सरकार राज्य सरकार द्वारा उठाई गई मांग के अनुरूप पांगी, भरमौर तथा लाहौल के लिए तीन और एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल स्वीकृत करेगी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किन्नौर जिला में एकलव्य स्कूल निचार का बेहतर संचालन कर रही है और इसके दृष्टिगत केन्द्रीय मंत्रालय राज्य के लिए निश्चित तौर पर तीन और इस प्रकार के स्कूल स्वीकृत करेगा।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि उनका मंत्रालय राज्य जनजातीय विकास विभाग को शिमला में नया जनजातीय अनुसंधान संस्थान भवन के निर्माण के लिए भी धनराशि प्रदान करेगा।

जसवंत सिन्ह भाभोर ने विभाग को जनजातीय छात्रवृति के अन्तर्गत 10वीं कक्षा पूर्व तथा 10वीं कक्षा के उपरान्त छात्रवृतियों के लिए अभी तक प्राप्त प्रस्तावों की सूची भेजने को कहा ताकि केन्द्रीय मंत्रालय इसके अनुसार धनराशि जारी कर सके। उन्होंने 31 दिसम्बर, 2018 से पहले शेष छात्रवृति की सम्भावित सूची भेजने के भी निर्देश दिए जिसके लिए अलग से वित्तीय सहायता जारी की जाएगी।

बैठक में अवगत करवाया गया कि वर्तमान वर्ष के दौरान जनजातीय उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में राज्य को 20 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं, जिन्हें क्रियान्वयन एजेंसियां को आवंटित किया जा चुका है। इसी प्रकार, क्रियान्वयन एजेंसियों को संविधान की धारा-275 (1) के तहत प्राप्त 22 करोड़ रुपये का अनुदान भी जारी किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से 14 भारतीयों की जल्द रिहायी का किया आग्रह

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने केन्द्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से दूरभाष पर बात करके सऊदी अरब में बीजा से सम्बन्धित समस्या के कारण फसे 14 भारतीयों की शीघ्र घर वापसी का किया आग्रह। उन्होंने कहा कि विभिन्न सूचना के अनुसार इनमें से 12 व्यक्ति हिमाचल तथा दो पंजाब से हैं।

जय राम ठाकुर ने केन्द्रीय मंत्री से सऊदी अरब के अधिकारियों के साथ व्यक्तिगत रूप से इस मामले को उठाने का आग्रह किया, जिससे उनकी सुरक्षित घर वापसी हो सके, क्योंकि वे अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए वहां गए हैं।

ठाकुर ने कहा कि उन्होंने केन्द्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को एक पत्र के माध्यम से इन सभी की जल्द सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने फसे हुए व्यक्तियों के परिजनों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार उन्हें शीघ्र घर वापिस लाने के हर सम्भव प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय मंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया है कि वह इन सभी को सुरक्षित वापिस लाने के लिए हर सम्भव सहायता करेंगी।

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
E-PROCUREMENT NOTICE
INVITATION FOR BIDS (IFB)

1.The Executive Engineer HPPWD Division, FatehpurDisttKangra H.P on behalf of Governor of H.P invites the online bids on item rate, in electronic tendering system, in 2 Cover System for the under mentioned buirling works from the eligible and approved contractors/Firms registered with HPPWD Department.

Sr.No.	Name of Work	Estimated cost	EMD	Time limit	Cost of tender	Eligible Class of contractor
1.	Periodic Renewal of Bharwain-Chintpurni-KandroriDamtal road km. 77/560 to 87/560 State Highways &Major District Roads Annual Maintenance Plan for the year 2018-19 Additional kms. (SH:- Providing and laying 25mm single layer bituminous concrete (L.B.C) km. 77/0 to 79/0).	1471503/-	29500/-	One month	500/-	Class-D&C
2.	Periodic Renewal of IndoraKathgarh road km. 0/0 to 7/065 Additional AMP PMGSY Maintenance Plan for the year 2018-19 (SH:- Providing and laying 25mm single layer bituminous concrete (L.B.C) km. 3/0 to 4/0 and 6/0 to 7/065).	1850082/-	35300/-	One month	500/-	-do-
3.	Periodic Renewal of KandwalDamtal road State Highways & Major District Roads Annual Maintenance Plan for the year 2018-19 Additional kms. (SH:- Providing and laying 25mm single layer bituminous concrete (L.B.C) km. 5/0 to 6/0).	1688565/-	32900/-	One month	500/-	-do-
4.	Construction of HatliDurana via Mohali Sanjwan road km. 0/0 to 5/0 (SH:- Construction of 10.00 mtrs. Span C/C RCC slab culvert at RD. 4/870).	1543363/-	30700/-	Three months	500/-	-do-

Date of Online Publication is 12.12.2018 at 1000 hrs. Document/bid download start and end date are 12.12.2018 at 10.30 hrs to 07.01.2019upto 1700 hrs. Technical bids &fainacial bids will be opened on 08.01.2019 at 11.00 hrs&15.01.2019 respectively.The tender forms and other detailed conditions can be seen from the website www.hptends.gov.in.

Adv. No.-3385/18-19 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

कृषि उद्योग निगम पर 1.40 करोड़ रुपये की पिछली देनदारियां: महेन्द्र सिंह

शिमला/शैल। हि.प्र. कृषि उद्योग निगम सीमित ने वर्ष 2018-19 के लिए 71.06 करोड़ रुपये की बिक्री का लक्ष्य निर्धारित किया है जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 31 करोड़ रुपये अधिक है और इसमें कुल लाभ 129.19 रुपये होगा। यह जानकारी बागवानी मंत्री एवं अध्यक्ष हि.प्र. कृषि उद्योग निगम ने शिमला में निगम निदेशक मण्डल के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।

महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि निगम के पास राज्य के अनेक स्थानों पर बहुमूल्य जमीन उपलब्ध है और निगम को अपनी आय बढ़ाने के लिए निजी सार्वजनिक सहभागिता (पीपीपी) प्रणाली को अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उद्योग विभाग के साथ मिलकर संयुक्त रूप से उद्यम स्थापित किए जा सकते हैं। आवश्यकता वाले क्षेत्रों में पेट्रोल पम्पों की स्थापना पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि घाटे से उभरने के लिए अनेक ऐसी संभावनाएं मौजूद हैं जिनका पता लगाकर उपयुक्त दोहन आवश्यक है।

बैठक में अवगत करवाया गया कि निगम पर 1.40 करोड़ रुपये की पिछली देनदारियां है, जिन्हें मौजूदा संसाधनों से पूरा नहीं किया जा सकता और इसके लिए 1.50 करोड़ रुपये के अनुदान की तुरन्त आवश्यकता है। इसका मामला पुनः सरकार को भेजा जाएगा।

बैठक की कार्यवाही का संचालन हि.प्र. एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन के प्रबंध निदेशक मदन चौहान ने किया। उन्होंने इस अवसर पर निदेशक मण्डल की 235वीं बैठक की कार्यवाही स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए बजट अनुमोदन तथा स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया।

शैल समाचार संपादक मण्डल

संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा

अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
मिनाक्षी शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के हो रहे व्यापक प्रयास: विवेक भाटिया

शिमला/शैल। जिला में शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए तथा स्कूलों में शत प्रतिशत परिणाम पाने के लिए प्रशासन द्वारा व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं जिसमें विभिन्न शिक्षण संस्थानों में प्रशासन द्वारा नियुक्त किए गए मैंटरस अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। यह जानकारी उपायुक्त विवेक भाटिया ने प्रशासन में दक्षता लाने बारे आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।

उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों में बोर्ड की परीक्षाओं के डर को खत्म करने के लिए तथा शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए प्रशासन द्वारा बोर्ड की तर्ज पर ही आगामी महीनों में परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा ताकि बच्चों में बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी के साथ-साथ ही परीक्षा देने के लिए आत्मविश्वास की भावना का भी उदय हो ताकि शतप्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि व्यास प्योर फैडरेशन के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि विकास खण्ड झंडुता में अजिविका मिशन के अंतर्गत लिखवाट, सोलर लाईट मुरम्मत, बेकरी उत्पाद, नमकीन इत्यादि प्रशिक्षण देने का भी प्रावधान किया जा रहा है।

उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि वे एकल नारी, वरिष्ठ नागरिक, शहीद विधवाओं इत्यादि के अपने विभाग से सम्बन्धित उन सभी पात्र व्यक्तियों के कार्य सिंगल विंडो में लाएं ताकि उन मामलों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जा सके। उन्होंने आरटीओं को निर्देश दिए कि पर्यावरण संरक्षण के लिए वह नियमित रूप से वाहनों का निरीक्षण करना सुनिश्चित करें।

इस मौके पर पशुपालन फार्म के लिए भूमि चयन, केन्द्रीय विद्यालय घुमारवीं तथा हाइड्रो इंजीनियरिंग कालेज, सूई सुरहाड़ मार्ग, ऑन लाईन माईन रिकार्ड रूम, वाटर स्पोर्टस, प्रवेश द्वार के सौन्दर्यकरण, जीरो बजट प्राकृतिक खेती, गौसदन, धौलरा मन्दिर में सामुदायिक हाल तथा ई. समाधान इत्यादि विभिन्न विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।

बरसात से राज्य सरकार को पिछले 10 वर्षों में सर्वाधिक नुकसान:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। भारी बरसात तथा जनजातीय क्षेत्रों में अप्रत्याशित बर्फबारी के कारण राज्य को इस वर्ष पहली जुलाई से लगभग 1600 करोड़ रुपये का संचयी नुकसान व क्षति हुई है। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने यह बात राज्य को मौसम में अचानक बदलाव, वर्षा तथा असमायिक बर्फबारी से हुए नुकसान के आंकलन के लिए राज्य के दौरे पर आई केन्द्रीय मंत्रालय की टीम के साथ मण्डी में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सबसे ज्यादा नुकसान लोक निर्माण विभाग को पहुंचा है जिसमें सड़कें और पुल शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सड़कों व पुलों को लगभग 930 करोड़ रुपये का नुकसान आंका गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में कुल 405 भूस्खलन तथा 34 बादल फटने की घटनाएं हुई हैं। उन्होंने कहा कि सिंचाई एंव जन स्वास्थ्य विभाग को 430 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि भारी वर्षा तथा अप्रत्याशित बर्फबारी के कारण कृषि फसलों तथा अधोसंरचना को 130. 37 करोड़ रुपये की क्षति की रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि बाढ़, भू:स्खलन, बादल फटने तथा सड़क दुर्घटनाओं के कारण 343 लोगों ने अपनी जानें गवाई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने मानव जीवन के नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए 13. 72 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने क्षतिग्रस्त सड़कों व

अधोसंरचना को शीघ्र बहाल करना सुनिश्चित किया है ताकि आम जनमानस तथा राज्य में आने वाले सैलानियों को असुविधा न हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चम्बा, कुल्लू तथा लाहौल-स्पिति जिलों से 3 सितम्बर से एक अक्तूबर, 2018 के बीच विभिन्न माध्यमों द्वारा 4033 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। उन्होंने केन्द्र सरकार और विशेषकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का राहत एवं पुनर्वास कार्य सुनिश्चित करने में हर सम्भव सहायता प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के आग्रह पर लाहौल -स्पिति तथा चम्बा जिलों में फसे लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए राज्य को भारतीय वायु सेना के सात हेलीकॉप्टर प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि इन जिलों से 292 लोगों को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित स्थानों तक लाया गया।

जय राम ठाकुर ने अन्तर मंत्रालय केन्द्रीय दल से राज्य सरकार को हुए नुकसान और क्षति जो पिछले 10 वर्षों में सर्वाधिक है, को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार से अधिक से अधिक समर्थन की संस्तुति के लिए आग्रह किया। विशेष सचिव राजस्व व आपदा प्रबन्धन डी.सी. राणा ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री तथा अन्यों का स्वागत किया तथा बरसात के दौरान राज्य को हुए नुकसान का ब्योरा दिया।

शिमला-कालका रेल की गति बढ़ाई जायेगी:केन्द्रीय रेल मंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने केन्द्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल से भेंट के दौरान उनसे कालका-शिमला और पठानकोट-जोगिन्द्रनगर रेलवे मार्गो पर रेल की गति बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कालका-शिमला रेलवे मार्ग पर रेल की गति 25 किलोमीटर प्रति घण्टा है, जिसे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

उन्होंने केन्द्रीय मंत्री से आग्रह किया कि इन रेलवे मार्गो पर चलने वाले डिब्बों को आकर्षक बनाया जाए, जिससे इन रेलों पर आने वाले पर्यटकों को अधिक से अधिक संख्या में आकर्षित किया जा सके।

जय राम ठाकुर ने केन्द्रीय मंत्री से शिमला स्थित पुराने बस अड्डे के नजदीक रेलवे भूमि पर एक व्यावसायिक परिसर कम बहुमंजिला कार पार्किंग के निर्माण का अनुरोध किया, जिससे इस भूमि का इस्तेमाल पर्यटकों की तथा अन्य लोगों के वाहन की पार्किंग के लिए प्रयोग किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेल लाइन पर कार्य की गति बढ़ाने का भी आग्रह किया।

पीयूष गोयल ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि इन दोनों रेलों की गति को शीघ्र ही 25 किलामीटर से बढ़ाकर 35 किलोमीटर प्रति घण्टा कर दिया जाएगा तथा इसे 50 किलोमीटर प्रति घण्टा करने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि शिमला स्थित बस अड्डे के समीप व्यावसायिक परिसर कम बहुमंजिला कार पार्किंग के निर्माण के प्रयास किए जाएंगे।

मुख्य सचिव बी.के.अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीकान्त बाल्दी, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव संजय कुण्डू व अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।

शिक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री को सौंपा पुरस्कार

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर को शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज

ने बडे राज्यों की श्रेणी में शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन व कार्यान्वयन के लिए गत दिनों दिल्ली में एक प्रतिष्ठित मीडिया समूह द्वारा हिमाचल प्रदेश को प्रदान किए गए पुरस्कार को सौंपा।

यह पुरस्कार उप राष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडु ने शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज को नई दिल्ली में 22 नवम्बर, 2018 को आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया था। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार विद्यार्थियों को उनके घरद्वार के निकट गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों में अधोसंरचना को विकसित कर विद्यार्थियों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि पुरस्कार के लिए राज्य को नवाजे जाने पर राष्ट्र स्तर पर प्रदेश सरकार के शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयासों को सराहा गया है।

मुख्यमंत्री द्वारा शिमला शहर के लिये 90 करोड़ रुपये की दो बड़ी परियोजनाएं समर्पित

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने राज्य के लोगों, विशेषकर शिमला शहर के लिए 90 करोड़ रुपये की दो बड़ी परियोजनाएं समर्पित की। इन परियोजनाओं में आईएसबीटी के समीप टुटीकण्डी 82 करोड़ रुपये की कार पार्किंग तथा द माल शिमला में 8 करोड़ रुपये की लागत से नवीनीकृत टाउन हॉल शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि टाउन हॉल शिमला एक अन्य महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसे राज्य के लोगों के लिए समर्पित किया गया है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक गेयटी थियेटर भवन के अलावा टाउन हॉल भवन शहर की शान है। उन्होंने कहा कि बैटनी कैसल शिमला के पुनरूद्धार के लिए एशियन विकास बैंक की सहायता से 26 करोड़ रुपये की परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।

एशियन विकास बैंक के कन्ट्री निदेशक केनिची योकोयामा ने निर्धारित समय सीमा के भीतर इस परियोजना का निर्माण पूरा करने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की।

आईएसबीटी के समीप कार पार्किंग के लोकार्पण के उपरान्त मीडिया को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पार्किंग परिसर शिमला शहर में सबसे बड़ी परियोजना है। उन्होंने कहा कि देश विदेश से सैलानी शिमला आते हैं, लेकिन उन्हें अपने वाहनों की पार्किंग के लिए काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। इस 13 मंजिला कार पार्किंग परिसर में 850 छोटे वाहनों के साथ-साथ चार बसों की पार्किंग की सुविधा होगी। आम जनता की सुविधा के लिए यहां मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। यह कार पार्किंग पर्यटकों तथा आम लोगों के लिए वरदान साबित होगी, क्योंकि लम्बे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है।

मुख्यमंत्री ने कहा पर्यटन विकास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए सरकार बाह्य वित्तपोषण

के लिए हर सम्भव प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि अनछुए व दूरवर्ती क्षेत्रों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने पर मुख्य रूप से बल दिया जा रहा है।

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के लोगों को समर्पित की गई ये दो परियोजनाएं राज्य में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होगी।

उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक टाउन हॉल शहर की ऐतिहासिक तथा स्मारक ईमारत है। उन्होंने कहा कि इसका जीर्णोद्धार पुराने डिजाईन तथा वास्तु का पूरी तरह ध्यान रखकर किया गया है। उन्होने कहा कि आज समर्पित की गई सभी परियोजनाएं मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में तत्कालीन सरकार द्वारा स्वीकृत करवाई गई थी।

अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यटन राम सुभग सिंह ने मुख्यमंत्री तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य के लोगों विशेषकर शिमला शहर के लिए आज यह ऐतिहासिक दिन है जब मुख्यमंत्री द्वारा 90 करोड़ रुपये की दो बड़ी परियोजनाएं समर्पित की गई हैं। परियोजना निदेशक एडीबी परवीण गुप्ता ने धन्यवाद किया।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर एडीबी के कन्ट्री निदेशक केनिची योकोयामा तथा अन्य सदस्यों को सम्मानित किया।

उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हिमाचल का 'मंडप' रजत पदक से पुरस्कृत

शिमला/शैल। 38वीं भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की अध्यक्षता करते हुए केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा हिमाचल सरकार के मंडप को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए रजत पदक से सम्मानित किया गया। बिहार तथा उत्तराखण्ड के मंडपों को क्रमश: स्वर्ण व कांस्य पदक मिला। भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हिमाचल मंडप पहली बार अग्रणी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है।

उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ने इस अवसर पर बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि इस पुरस्कार से जून, 2019 में आयोजित की जाने वाली ग्लोबल इवेस्टर मीट में सभी क्षेत्रों में निवेश को गति मिलेगी। भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन प्रतिवर्ष प्रगति मैदान नई दिल्ली में इण्डिया व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा 14 से 27 नवम्बर तक किया जाता है। निदेशक हिमाचल मंडप ने अवगत करवाया कि इस वर्ष ग्रामीण उद्यम को मध्यनजर रखते हुए हिमाचल मंडप ने प्रदेश के ग्रामीण उद्यमों द्वारा बनाए गए परम्परागत उत्पाद जैसे कुल्लू व किन्नौरी शॉल, चम्बा रूमाल, कांगड़ा व थंका पेंटिंग तथा कास्ट व मैटल क्राफ्ट के साथ-साथ नेरवा के वृद्धजन संगठन द्वारा निर्मित फल उत्पाद व शिमला के स्टार्ट अप मैसर्ज ब्रापलैज एप्ल चिप्स को मुख्यत: प्रदर्शित किया गया था।

हिमाचल मंडप के उद्घाटन अवसर पर मुख्य सचिव बी.के. अग्रवाल ने उद्योग विभाग के प्रयत्नों की सराहना करते हुए हैंडलूम तथा हैंडीक्राफ्ट क्षेत्र में डिजाईन इम्प्रूवमेंट की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने के निर्देश दिए।

डर को नजदीक न आने दो अगर यह नजदीक आ जाये तो इस पर हमला कर दो। .....आचार्य चाणक्य

सम्पादकीय

भ्रष्टाचार के प्रति गंभीरता पर उठे सवाल

देश की शीर्ष जांच ऐजैन्सी सीबीआई के शीर्ष अधिकारियों के बीच उभरे विवाद और इस विवाद के कारण जो कुछ घटा वह सब सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच चुका है और इस पर सुनवाई चल रही है। इस सुनवाई और उसके अन्तिम परिणाम पर पूरे देश की नज़रें लगी हुई हैं। कानून की बारीकियों पर परत दर परत सवाल और बहस हो रही है और इसका जो भी परिणाम परिणाम रहेगा उसका देश पर दूरगामी असर पड़ेगा इसमें कोई दो राय नही है। अस्थाना के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर कानून की नजर में कैसे आंकलित होती है और आलोक वर्मा तथा अस्थाना को सीबीआई द्वारा छुट्टी पर भेजना जायज़ था या नही? इन सब सवालों के जवाब इस विवाद के फैसले में आ जायेंगें लेकिने क्या इस फैसले का असर भ्रष्टाचार के मामलों की जांच पर पड़ेगा? यह सवाल सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय देश की संसद से लेकर राज्यों की विधानसभाओं तक सैंकड़ो में ऐसे लोग जब प्रतिनिधि होकर बैठे हैं जिनके खिलाफ वर्षो से आपराधिक मामले लबित चल रहे हैं इन मामलों पर सर्वोच्च न्यायालय चिन्ता व्यक्त करते हुए अधिनस्थ न्यायपालिका को ऐसे लोगों के मामले दैनिक आधार पर सुनवाई करते हुए एक वर्ष के भीतर निपटाने के निर्देश दे चुका है। इसके लिये विशेष अदालतें तक गठित करने के निर्देश हैं? लेकिन क्या इन निर्देशों की अनुपालना हो पायी है? क्या माननीयों के खिलाफ मामलों की सुनवाई एक वर्ष के भीतर हो पायी है? क्या सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्देशों की अनुपालना पर रिपोर्ट तलब की है?

इन सवालों का यदि निष्पक्षता और निर्भिकता से आंकलन किया जाये तो शायद जवाब नही मे ही होगा क्योंकि हिमाचल जैसे छोटे राज्य में ही जहां पर माननीयों के खिलाफ केवल सात दर्जन के करीब मामले दर्ज हैं वहां पर ही सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार न कोई सुनवाई हो पायी है और न ही कोई फैसला आ पाया है। यहां पर सरकार और उच्च न्यायालय ने विशेष अदालत के गठन की आवश्यकता इसलिये नही समझी थी क्योंकि मामलों की संख्या कम थी। लेकिन क्या जो मामलें हैं उनकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार नही हो जानी चाहिये थी परन्तु ऐसा हुआ नही है बल्कि कई माननीयों के मामलों को अदालत से वापिस लेने के प्रयास किये जा रहे हैं यदि हिमाचल में यह स्थिति हो सकती है तो देश के अन्य राज्यों में भी ऐसा ही होगा ऐसा माना जा सकता है। कई मामलो में अदालत से कई अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कारवाई करने के निर्देश सरकार को मिले हैं। लेकिन सरकार की ओर से कोई कारवाई नही की गयी है। इसमें सबसे ताजा उदाहरण कसौली कांड का है। जिसमें एनजीटी ने कुछ लोगों को नामत: चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ कारवाई करने के निर्देश प्रदेश के मुख्य सचिव को दिये थे। एनजीटी के इस फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपनी मोहर लगा दी है। लेकिन इन निर्देशों पर आज तक कोई कारवाई नही हुई है। इसी तरह धर्मशाला के मकलोड़गंज बस अड्डा प्रकरण पर भी सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदेश के मुख्य सचिव को दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कारवाई के निर्देश दिये थे। फिर इस मामले में जब एक अपील सर्वोच्च न्यायालय में आयी तब शीर्ष अदालत ने अपने निर्देशों को संशोधित करते हुये यह जिम्मेदारी मुख्य सचिव की वजाये सत्र न्यायधीश कांगड़ा धर्मशाला को दे दी थी। तीन माह में यह रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में जानी थी जो कि आज तक नही जा पायी है और इन निर्देशों को हुए करीब दो वर्ष हो गये हैं। ऐसे ही प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देशों पर एक अभय शुक्ला कमेटी गठित हुई थी इस कमेटी ने अपनी रिर्पोट में खुलासा किया है। चम्बा में 65 किलोमीटर तक रावी हाईडल परियोजनाओं की भेंट चढ़ चुकी है। ऐसी ही एक एसआईटी जेपी उद्योग थर्मल प्लांट को लेकर एडीजीपी के तहत गठित की गयी थी। यह एसआईटी भी अपनी रिर्पोट उच्च न्यायालय को सौंप चुकी है। लेकिन इन रिर्पोटों पर आज तक कोई कारवाई नही हुई है। इससे यह जन धारणा बन जाती है कि कुछ भी करते रहो अन्तत: कोई कारवाई नही होती है क्योंकि इन मामलों में ऐसा ही हुआ है जबकि यह अति संवेदनशील और गंभीर मामले थे।

जब शीर्ष अदालत के निर्देशों को सरकारी तन्त्र ऐसे हल्के से लेगा तब भ्रष्टाचार के खिलाफ कभी कोई ईमानदारी से गंभीरता आ पायेगी यह उम्मीद करना ही बेमानी हो जाता है। जब देश की शीर्ष ऐजैन्सी के शीर्ष लोगों के खिलाफ ही एक दूसरे द्वारा रिश्वतखोरी तक के आरोप जनता के सामने आ जाये तो फिर आम आदमी किस पर और कैसे भरोसा करे। जो स्थिति इस समय सामने है उस पर एक बार फिर आम आदमी की नजरें सर्वोच्च न्यायालय पर लगी हुई हैं। सवाल शीर्ष ऐजैन्सी की विश्वनीयता बहाल करने का ही नही है। बल्कि आम आदमी को आश्वस्त करने का है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ गंभीरता है और दोषी को अवश्य सजा मिलेगी। इस संद्धर्भ में यह सुझाव है कि जब भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई शिकायत आती है उस पर तुरन्त मामला दर्ज किया जाये जो अबतक नही हो रहा है। मामला दर्ज होने के बाद जांच अधिकारी को छ: माह से एक वर्ष के भीतर जांच पूरी करके चालान दायर करने के निर्देश दिये जायें जब तक जांच पूरी न हो जाये और अदालतत से फैसला न आ जाये तब तक जांच अधिकारी को मामले से ना बदला जाये जो अधिकारी मामला दर्ज करे वही अदालत में उसकी पैरवी के समय मामले से संवद्ध रहे। जब तक जांच अधिकारी और उसके कन्ट्रोलिंग अधिकारी को व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार बनाना होगा बल्कि जांच अधिकारी की पदोन्नति इस पर आधारित की जाये कि उसने कितने मामलों मे जांच की और उसमें दोषीयों को सजा मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे निर्देश जारी भी कर रखे हैं कि यह देखा जाये कि कोई आपराधिक मामला अदालत में यदि सिद्ध नही हो पाया तो उसमें देखा जाये कि जांच में कमी रहने के कारण या सरकारी वकील द्वारा ठीक से पैरवी न करने के कारण मामला असफल हुआ है। जिसका भी दोष निकले उसके खिलाफ कारवाई की जाये। लेकिन व्यवहार में ऐसा हो नही रहा है। दशकों तक मामले जांच में लंबित रह रहे हैं। कई कई अधिकारी बदल जाते हैं और इससे किसी की भी जिम्मेदारी नही रह जाती है। ऐसे में यदि हम सही में भ्रष्टाचार के खिलाफ गंभीर और ईमानदार हैं तो इन मामलो की जांच को समयवद्ध करने के साथ ही जांच अधिकारी और सरकारी वकील को इसमें जवाबदेही बनाना होगा। यह जवाबदेह तन्त्र सरकारों से उम्मीद करना संभव नही रह गया है। इसके लिये सर्वोच्च न्यायालय को ही कोई व्यवस्था खड़ी करनी होगी। यदि ऐसा न हो पाया तो देश में शीघ्र ही अराजकता फैल जायेगी क्योंकि सीबीआई विवाद से सरकार और ऐजैन्सी दोनों पर से ही आम आदमी का विश्वास उठ चुका है।

गौवंश संरक्षण व संवर्धन सरकार की प्राथमिकता

पशु धन विकास ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग हैं। राज्य की कृषि प्रदान आर्थिकी में पशुधन का विशेष स्थान है। इसी के दृष्टिगत राज्य सरकार किसानों के मवेशियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के साथ दुधारू पशुधन के स्तरोन्यन तथा पशु स्वास्थ्य सेवा में सुधार लाने पर विशेष बल दिया जा रहा है। पशुधन में बढ़ोतरी तथा दुधा, ऊन तथा अण्डा आदि के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए किसानों को आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों की जानकारी व प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

प्रदेश सरकार राज्य में देसी नस्ल की गायों को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। विभागीय पशु प्रजनन नीति के अनुसार पशु प्रजनन नीति में, रेड सिन्धी, साहिवाल, गिर तथा थारपारकर नस्लों के तृणो को शामिल किया गया है। हिमाचल प्रदेश पशुधन विकास बोर्ड के तहत साहिवाल नस्ल के 47123 तृण, रैक सिन्धी नस्ल के 79969 तृण तथा गिर नस्ल के उच्च गुणवत्ता वाले 1091 तृणो को बाहरी राज्य से क्रय किया गया है और विभागीय पशु चिकित्सा संस्थानों के माध्यम से प्रदेश के पशु पालकों को कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा प्रदान की जा रही है और अब तक विभाग द्वारा 118473 तृणो को बाहरी राज्य से खरीदा गया है।

आगामी दिसम्बर माह में कांगड़ा जिले के पालमपुर स्थित ई-फार्म केन्द्र में रैड सिन्धी, साहिवाल तथा थरपारकर नस्ल के वीर्य तृण तैयार किए जाने का कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।

प्रदेश सरकार द्वारा दुधारू पशुधन के पंजीकरण का निर्णय लिया गया है। पंजीकरण के लिए 778000 नकुल स्वास्थ्य पत्र छपवाए गए हैं तथा इनका वितरण जिला कार्यालयों को आगामी कार्रवाई हेतु किया जा चुका है।

राष्ट्रीय विकास योजना के तहत वित्त वर्ष 2018-19 को विभाग की विभिन्न गतिविधियों के लिए 675.00 लाख रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। प्रदेश सरकार की गौवंश के संरक्षण व संवर्धन के प्रति अपनी कृतसंकल्पता इस बात से पता चलती है कि वर्तमान सरकार ने अपनी पहली मंत्रिमण्डल की बैठक में गौ-संवर्धन के लिए सुझाव देने हेतु एक मंत्रिमण्डलीय उप-समिति के गठन का निर्णय लिया और सरकार प्रदेश में 'गौ सेवा आयोग' के गठन के लिए प्रयासरत है, सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती व देसी गाय की नस्ल के सुधार के अनेक पग उठाए गए हैं और गौमूत्र आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय अनुदान दिया जा रहा है। वर्तमान गौ सदनों को सुदृढ़ करने तथा नए गौ सदनों को स्थापित करने के लिए स्थानीय लोगों, गैर सरकारी संस्थाओं, पंचायतों व मन्दिर न्यासों की भागीदारी प्रोत्साहित की जा रही है। मन्दिरों में चढ़ावे का 15 प्रतिशत गौ सदनों के रखरखाव व निर्माण पर खर्च किया जा रहा है। इस निर्णय से प्रतिवर्ष गौवंश के विकास के लिए 17 करोड़ रुपये उपलब्ध होंगे। इसके अलावा प्रदेश में बिकने वाली शराब की प्रति बोतल पर एक रुपये का गौवंश विकास 'सैस' लगाया गया है।

कांगड़ा जिला के इन्दौरा (डमटाल) में गौ सदन खोलने के लिए 3,55,28,320 रुपये की राशि मन्दिर न्यास से प्राप्त 15 प्रतिशत आय से स्वीकृत की गई है। सिरमौर जिले के कोटला बड़ोग में 1.52 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले अभ्यारण्य की आधारशिला रखी गई। इसके बनने से क्षेत्र के आस-पास का पशुधन लाभान्वित होगा। जिला कांगड़ा, सोलन व मण्डी में चार नए गौ सदनों के निर्माण के 41,57,500 रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

राज्य में डेयरी, उद्यमी विकास योजना के तहत दुधारू पशुओं के खरीद पर दिए जाने वाले ऋण पर अनुदान के लिए इस वित्त वर्ष के दौरान 10 लाख रुपये की बजट का प्रावधान किया गया है। योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को देसी गाय खरीदने पर 20 प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है, जबकि अन्य नस्लों की गाय खरीदने पर 10 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान किया गया है।

इसके अतिरिक्त राज्य में मुर्गी पालन व भेड़ बकरी पालन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के लिए 'ब्रॉयलर फार्म योजना' के तहत इस वर्ष के दौरान 50 कुक्कुट इकाई स्थापित करने के लिए 274.00 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। योजना के तहत अब तक विभिन्न जिलों में 33 इकाईयां स्थापित की जा चुकी हैं। इसके अलावा मुर्गी पालन योजना के तहत 90 लाभार्थियों का चयन किया जा चुका है।

राज्य में मेढ़ें वितरण योजना के तहत अनुसूचित जाति के भेड़ पालकों को 1041 मेढ़ें 60 प्रतिशत अनुदान पर प्रदान किए गए हैं। बकरी वितरण योजना के तहत 60 प्रतिशत अनुदान पर 417 इकाईयां बांटने के लिए लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया जारी है।

पशुधन की स्वास्थ्य सम्बन्धी जरूरतें पूरा करने के लिए पिछले दस माह के दौरान दो नये पशु औषद्यालय खोले गये हैं, 8 पशु औषद्यालयों को स्तरोन्नत कर पशु चिकित्सालय बनाया गया हैं। एक पशु चिकित्सालय को स्तरोन्नत कर उपमण्डलीय पशु चिकित्सा बनाया गया है। 27 पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती की प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई हैं।

प्रदेश सरकार के इन प्रयासों से आने वाले समय में राज्य में गौवंश के संवर्धन व संरक्षण में सहायता मिलेगी और राज्य में देसी नस्ल की गायों को बढ़ावा मिलेगा।

दिल्ली की सडक पर किसान मार्च आहट है डगमगाते लोकतंत्र की

कोई नगे बदन, कोई गले में कंकाल लटकाये हुये, तो कोई पेट पर पट्टी बांधे हुये, कोई खुदकुशी कर चुके पिता की तस्वीर को लटकाये हुये, अलग अलग रंग के कपडे, अलग अलग झडे-बैनर, और दिल्ली की कोलतार व पत्थर की सड़कों को नापते हजारों हजार पांव के सामानांतर लाखों रुपये की दौड़ती भागती गाड़ियां, जिनकी रफ्तार पर कोई लगाम ना लगा दे तो? सैंकड़ो की तादाद में पुलिसकर्मियों की मौजूदगी। ये नजारा भी है और देश का सच भी है कि आखिर दिल्ली किसकी है? फिर भी दिल्ली की सड़को को ही किसान ऐसे वक्त नापने क्यों आ पहुंचा जब दिल्ली की नजरें उन पांच राज्यों के चुनाव पर है जिसका जनादेश 2019 की सियासत को पलटाने के संकेत भी दे सकता है और कोई विकल्प है नहीं तो खामोशी से मौजूदा सत्ता को ही अपनाये रह सकता है। वाकई सियासी गलियारों की सासे गर्म हैं। धड़कने बढ़ी हुई हैं, क्योकि जीत हार उसी ग्रामीण वोटर को तय करनी है जिसकी पहचान किसान या मजदूर के तौर पर है। बीजेपी नहीं तो कांग्रेस या फिर मोदी नहीं तो राहुल गांधी। गजब की सियासी बिसात देश के सामने आ खड़ी हुई है जिसमें पहली बार देश में जनता का दवाब ही आर्थिक नीतियो में बदलाव के संकेत दे रहा है और सत्ता पाने के लिये आर्थिक सुधार की लकीर छोड़ कर कांग्रेस को भी ग्रामीण भारत की जरुरतों को अपने मैनिफेस्टो में जगह देने की ही नहीं बल्कि उसे लागू करवाने के उपाय खोजने की जरुरत आ पड़ी है। क्योंकि इस सच को तो हर कोई अब समझने लगा है कि तात्कालिक राहत देने के लिये चाहे किसान की कर्जमाफी और समर्थन मूल्य में बढौतरी की बात की जा सकती है और सत्ता मिलने पर इसे लागू कराने की दिशा में बढ़ा भी जा सकता है। लेकिन इसके असर की उम्र भी बरस भर बाद ही खत्म हो जायेगी। यानी सवाल सिर्फ ये नहीं है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट के मद्देनजर किसानों के हक के सवाल समाधान देखें या फिर जिस तर्ज पर कॉरपोरेट की कर्ज मुक्ति की जो रकम सरकारी बैकों के जरीये माफ की जा रही है उसका तो एक अंश भर ही किसानों का कर्ज है तो उसे माफ क्यों नहीं किया जा सकता। दरअसर ये चुनावी गणित के सवाल है देश को पटरी पर लाने का रास्ता नहीं है। क्योकि किसानों का कुल कर्ज बारह लाख करोड़ अगर कोई सरकार सत्ता संभालने के लिये या सत्ता में बरकरार रहने के लिये माफ कर भी देती है तो क्या वाकई देश पटरी पर लौट आयेगा और किसानों की हालत ठीक हो जायेगी। ये समझ बिना डिग्री भी मिल जाती है कि जिन्दगी सिर्फ एकमुश्त रुपयों से चल नहीं सकती। वक्त के साथ अगर रुपये का मूल्य घटता जाता है, या फिर किसानी और मंहगी होती जाती है, या फिर बाजार में किसी भी उत्पाद की मांग के मुताबिक माल पहुंचता नहीं है, या फिर रोजगार से लेकर अपराध और भ्रष्टाचार से लेकर खनिज संसाधनों की लूट जारी रहती है, या फिर सत्ता में आने के लिये पूंजी का जुगाड उन्ही माध्यमों से होता है जो उपर के तमाम हालातों को जिन्दा रखना चाहते हैं। तो फिर किसी भी क्षेत्र में कोई भी राहत या कल्याण अवस्था को अपना कर सत्ता तो पायी जा सकती है लेकिन राहत अवस्था को ज्यादा दिन टिकाये नहीं रखा जा सकता। और शायद मौजूदा मोदी सत्ता इसके लिये बधाई की पात्र है कि उन्होने सत्ता के लिये संघर्ष करते राजनीतिक दलों को ये सीख दे दी कि अब उन्हें सत्ता मिली और अगर उन्होने जनता की जरुरतों के मुताबिक

पुण्य प्रसून वाजपेयी

मोदी सत्ता ने छूने का प्रयास किया जिसमें चुनी हुई सत्ता के दिमाग में जो भी सुधार की सोच हो वह उसे राजनीतिक तौर पर लागू करवाने से ना हिचके। और शायद नोटबंदी फिर जीएसटी उस सोच के तहत लिया गया एक निर्णय भर है।

कार्य नहीं किया तो फिर पांच बरस इंतजार करने की स्थिति में शायद जनता भी नहीं होगी। क्योकि कांग्रेस ने अपनी सत्ता के वक्त संस्थानों को ढहाया नहीं बल्कि आर्थिक सुधार के नजरियों को उसी अनुरुप अपनाया जैसा विश्व बैंक या आईएमएफ की नीतियां चाहती रही। लेकिन मोदी सत्ता ने संस्थानों को ढहा कर कॉरपोरेट के हाथों देश को कुछ इस तरह सौंपने की सोच पैदा की जिसमें उसकी अंगुलियों से बंधे धागों पर हर कोई नाचता हुआ दिखायी दें। यानी आर्थिक सुधार की उस पराकाष्टा को लेकिन ये निर्णय कितना खतरनाक है इसके लिये मोदी सत्ता के ही आर्थिक सलाहकार रहे **अरविंद सुब्रमण्यम की नई किताब ''ऑफ काउंसिलः द चैलेंजेस ऑफ मोदी – जेटली इकोनॉमी''** से ही पता चल जाता है जिसमें बतौर आर्थिक सलाहकार सुब्रहमण्यम ये कहने से नहीं चुकते कि जब मोदी नोटबंदी का एलान करते है तो नार्थ ब्लाक के कमरे में बैठे हुये वह सोचते है कि इससे ज्यादा खतरनाक कोई निर्णय हो नहीं सकता। यानी देश को ही संकट में डालने की ऐसी सोच जिसके पीछे राजनीतिक लाभ की व्यापक सोच हो। यानी इससे संकेत अब कांग्रेस को भी है कि 1991 में अपनाये गये आर्थिक सुधार की उम्र ना सिर्फ सामाजिक – आर्थिक तौर पर बल्कि राजनीतिक तौर पर भी पूरी हो चली है।

क्योंकि दिल्ली में किसानों का जमघट पूरे देश से सिर्फ इसलिये जमा नहीं हुआ है कि वह अपनी ताकत का एहसास सत्ता को करा सकें बल्कि चार मैसेज एक साथ उपजे हैं। पहला: – किसान एकजूट है, दूसरा: – किसानों के साथ मध्यम वर्ग भी जुड़ रहा है। तीसरा: – किसानों की मांग रुपयों की राहत में नहीं बल्कि इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने पर जा टिकी है। चौथा: – किसानों के हक में सभी विपक्षी राजनीतिक दल हैं तो संसद के भीतर साफ लकीर खिंच रही है।

किसानों पर मोदी सत्ता अलग थलग है। कह सकते है कि 2019 से पहले किसानों के मुद्दों को केन्द्र में लाने का ये प्रयास भी है। लेकिन इस प्रयास का असर ये भी है कि अब जो भी सत्ता में आयेगा उसे कॉरपोरेट के हाथों को पकडना छोड़ना होगा। यानी अब इक्नॉमिक मॉडल इसकी इजाजत नहीं देता है कि कॉरपोरेट के मुनाफे से मिलने वाली रकम से राजनीतिक सत्ता किसान या गरीबों को राहत देने या कल्याण योजनाओं का एलान भर करें बल्कि ग्रामीण भारत की इकॉनमी को राष्ट्रीय नीति के तौर पर कैसे लागू करना है अब परीक्षा इसकी शुरु हो चुकी है। इस रास्ते मोदी फेल हो चुके हैं और राहुल की परीक्षा बाकि है। क्योंकि याद कीजिये तो 2014 में सत्ता में आते ही संसद के सेन्ट्रल हॉल में जो भाषण मोदी ने दिया था वह पूरी तरह गरीब, किसान, मजदूरों पर टिका था। लेकिन सत्ता चलाते वक्त उसमें से साथी कॉरपोरेट की लूट, ब्लैकमनी पर खामोशी और बहुसंख्यक जनता को मुश्किल में डालने वाले निर्णय निकले। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी उस कांग्रेस को ढ़ोने से बार बार इंकार कर रहे हैं जिनके पेट भरे हुये हैं, एसी कमरों में कैद हैं और जो मुनाफे की फिलास्फी के साथ इकनॉमिक मॉडल को परोसने की दुहाई अब भी दे रहे हैं। आसान शब्दों में कहें तो ओल्ड गार्ड के आसरे राहुल कांग्रेस को रखना नहीं चाहते हैं और कांग्रेस में ये बदलाव कांग्रेसी सोच से नहीं बल्कि मोदी दौर में देश के बिगड़ते हालातों के बीच जनता के सवालों से निकला है। और सबसे बड़ा सवाल आने वाले वक्त में यही है कि क्या राष्ट्रीय नीतियां वोट बैंक ही परखेगी या वोट बैंक की व्यापकता राष्ट्रीय नीतियों के दायरे में आ जायेगी। क्योंकि संकट चौतरफा है जिसके दायरे में किसान – मजदूर, दलित – ओबीसी, महिला – युवा सभी हैं और सवाल सिर्फ संवैधानिक संस्थाओं को बचाने भर का नहीं है बल्कि राजनीतिक व्यवस्था को भी संभालने का है जो कॉरपोरेट की पूंजी तले मुश्किल में पड़े हर तबके को सिर्फ वोटर मानती है।

दिन प्रतिदिन टूटते रिश्ते

जिन रिश्तों की नींव आत्मा और हृदय जैसे गम्भीर भावों पर टिकी होती है वो आँधियों को भी अपने आगे झुकने के लिए मजबूर कर देती हैं।

''डॉ नीलम महेंद्र''

जिन रिश्तों की नींव आत्मा और हृदय जैसे गम्भीर भावों पर टिकी होती है वो आँधियों को भी अपने आगे झुकने के लिए मजबूर कर देती हैं।

हाल ही में जापान की राजकुमारी ने अपने दिल की आवाज सुनी और एक साधारण युवक से शादी की। अपने प्रेम की खातिर जापान के नियमों के मुताबिक, उन्हें राजघराने से अपना नाता तोड़ना पड़ा। उनके इस विवाह के बाद अब वे खुद भी राजकुमारी से एक साधारण नागरिक बन गई हैं। कैम्ब्रिज के ड्यूक और ब्रिटेन के शाही परिवार के राजकुमार विलियम ने एक साधारण परिवार की कथेरिन मिडलटन से विवाह किया (2011) और आज दुनिया भर में एक आदर्श जोड़े के रूप में पहचाने जाते हैं। स्वीडन की राजकुमारी विक्टोरिया ने स्वीडन के एक छोटे से समुदाय से आने वाले डेनियल वेसलिंग से शादी की (2010)। डेनियल कभी उनके पर्सनल ट्रेनर हुआ करते थे। मोनाको के राजकुमार रेनियर तृतीय ने हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री ग्रेस केली से विवाह किया(1956)।

1982 में एक कार दुर्घटना में अपनी मृत्यु तक वे मोनाको की राजकुमारी के रूप में रेनियर तृतीय ही नहीं मोनाको के लोगों के दिलों पर भी राज करती रहीं।

इस प्रकार की हाई प्रोफाइल, सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से बेमेल लेकिन आपसी सामंजस्य में सफल विश्व की अनेकों जोड़ियों की चर्चा के बीच अगर हम अपने देश के एक हाई प्रोफाइल जोड़े आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजप्रताप और बिहार के ही एक शक्तिशाली राजनैतिक परिवार की बेटी ऐश्वर्या की बात करें तो स्थिति बिल्कुल विपरीत दिखाई देगी। यह किसी ने नहीं सोचा होगा कि 6 महीने में ही दोनों में तलाक की नौबत आ जायेगी। कहा जा सकता है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से दोनों परिवार बेमेल नहीं

थे। लेकिन फिर भी तेजप्रताप का कहना है कि हमारी जोड़ी बेमेल है और ऐसे रिश्ते को ढोते रहने से अच्छा है उससे मुक्त हो जाना।

हमारे देश में इस प्रकार का यह कोई पहला मामला नहीं है लेकिन देश के एक नामी राजनैतिक परिवार से जुड़ा होने के कारण इसने ना सिर्फ मीडिया बल्कि पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और शादी एवं तलाक को लेकर एक बहस भी छेड़ दी है। भारत में लगभग 14 लाख लोग तलाकशुदा हैं जो कि कुल आबादी का करीब 0.11% है और शादी शुदा आबादी का 0.24% हिस्सा है। चिंता की बात यह है कि भारत जैसे देश में भी यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है।

अगर हम तलाक के पीछे की वजह तलाशते हैं तो चिंता और बढ़ जाती है। क्योंकि किसी को तलाक इसलिए चाहिए क्योंकि उसे अपने पार्टनर की पसीने की बदबू से एलर्जी थी तो किसी को अपने साथी की दोस्तों को बहुत अधिक उपहार देने की आदत से परेशानी थी। नागपुर के एक जोड़े ने हनीमून से लौटते ही तलाक की अर्जी इसलिए दे दी क्योंकि पति गीला तौलिया बिस्तर पर रखने की अपनी आदत नहीं बदल पा रहा था और पत्नी को सफाई की आदत थी। एक दूसरे जोड़े ने हनीमून से वापस आते ही तलाक मांगा क्योंकि पति ने एक भी दिन होटल का खाना नहीं खिलाया। दरअसल सास ने घर का खाना साथ देकर खाने पर पैसे खर्च करने से मना किया था।

दरअसल कहने को तलाक की अनेक वजह हो सकती हैं लेकिन समझने वाली बात यह है कि केस कोई भी हो तलाक की केवल एक ही वजह होती है। 'एक दूसरे के साथ तालमेल ना बैठा पाना', एक दूसरे के साथ सामंजस्य न होना।

जी हाँ रिश्ता कोई भी हो आपसी तालमेल से बहुत सी समस्याओं को हल करके एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठाया जा सकता है। लेकिन समझने वाला विषय यह है कि इसके लिए एक दूसरे की सामाजिक आर्थिक या पारिवारिक पृष्ठभूमि का कोई महत्व नहीं होता जैसा कि हमने ऊपर कई बेमेल लेकिन सफल जोड़ियों के संदर्भ में देखा। अगर दिलों में फासले न हो तो सामाजिक आर्थिक या फिर पारिवारिक पृष्ठभूमि की दूरियां कोई मायने नहीं रखतीं। लेकिन अफसोस की बात है कि आज के इस भौतिकवादी दौर में जब हम लड़का या लड़की देखते हैं तो हमारी लिस्ट में लड़के या लड़की का आर्थिक पैकेज होता है उनके संस्कार नहीं। उनकी शारीरिक सुंदरता जैसे बाहरी विषय होते हैं उनके आचरण और विचारों की शुद्धता नहीं। जिस रिश्ते की नींव बाहरी और भौतिक आकर्षणों पर रखी जाती है वो एक हल्के से हवा के झोंके से ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। लेकिन जिन रिश्तों की नींव आत्मा और हृदय जैसे गम्भीर भावों पर टिकी होती है वो आँधियों को भी अपने आगे झुकने के लिए मजबूर कर देती हैं।

इसलिए आज जब हमारा समाज उस दौर से गुजर रहा है जब शादी से तलाक तक का सफर कुछ ही माह में तय कर लिया जा रहा हो तो जरूरत इस बात की है कि हमें बाहरी आकर्षणों से अधिक भीतरी गुणों को, फाइनैंशियल स्टेटस से अधिक संस्कारों के स्टेटस को, चेहरे की सुंदरता से अधिक मन की सुंदरता को तरजीह देनी होगी।

हिमाचल बना आपातकालीन प्रतिक्रिया समर्थन प्रणाली कार्यान्वित करने वाला पहला राज्य

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश आपातकालीन प्रतिक्रिया समर्थन प्रणाली (ईआरएसएस) को क्रियान्वित करने वाला देश का पहला राज्य बनकर उभरा है जब केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ

सिंह ने मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की उपस्थिति में मण्डी से राज्य के लिये ईआरएसएस की शुरूआत की। इस प्रणाली के तहत आगजनी के लिए 101, एम्बुलेन्स तथा आपदा प्रतिक्रिया के लिए 102 सहित सभी आपातकालीन नम्बरों का देशभर में एक नम्बर 112 में एकीकरण किया है।

इस अवसर पर संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि इससे देशभर में चौबीस घण्टे प्रभावी प्रतिक्रिया प्रणाली के लिए केवल एक आपातकालीन नम्बर की सुविधा प्राप्त होगी, जो आपदा अथवा आपति में नागरिकों की सेवा के लिए वायस कॉल, एसएमएस, ई-मेल, सार्वजनिक परिवहन इत्यादि में पैनिक बटन जैसी विभिन्न वायस एवं डाटा सेवाओं से इनपुट प्राप्त कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली को वायस अथवा डाटा से जोड़ कर विपत्ति में व्यक्ति के स्थल की पहचान करेगी तथा मुसीबत में व्यक्ति को तत्काल सहायता प्रदान करेगी।

गृहमंत्री ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला सुरक्षा डिवीजन का सृजन किया गया है। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनेक वैबयुक्त अन्य योजनाएं भी शुरू की गई है।

केन्द्रीय मंत्री ने इस अवसर पर ईआरएसएस की वैब-साईट की भी शुरूआत की। इस अवसर पर योजना का एक वृतचित्र भी दिखाया गया।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने इस योजना की शुरूआत के लिए हिमाचल प्रदेश का चयन करने के लिए केन्द्रीय मंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि आपत्ति में कोई भी व्यक्ति, विशेषकर महिलाएं ईआरएसएस का प्रयोग करके अथवा लैंडलाइन व मोबाईल फोन से 112 पर कॉल कर सकेगा। ईआरएसएस मानव शक्ति के सदुपयोग का अधिक से अधिक उपयोग तथा सभी आपातकालीन कॉलों पर तुरन्त कारवाई में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा तालमेल व समन्वय से जुड़ी समस्याओं का भी सरलीकरण होगा।

जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल के 100 दिनों के भीतर लड़कियों तथा महिलाओं की सुरक्षा के लिए गुड़िया हैल्पलाईन और शक्ति एप्प की शुरूआत की। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना भयमुक्त वातावरण प्रदान कर महिला सशक्तिकरण में मद्दगार साबित होगी।

मुख्यमंत्री ने क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य के लिए एनडीआरफ बटालियन स्वीकृत करने तथा असमायिक बर्फबारी और वर्षा के कारण लाहौल घाटी तथा चम्बा के होली में फंसे लोगों को निकालने के लिए सात हेलीकॉप्टर प्रदान करने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश को इस वर्ष बरसात के दौरान भारी वर्षा के कारण 1600 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचा है।

उन्होंने केन्द्रीय मंत्री से हिमाचल प्रदेश के लिए महिला वाहिनी की एक और बटालियन प्रदान करने का आग्रह किया। पुलिस महानिदेशक एस.आर.मरड़ी ने कहा कि केन्द्र सरकार ने इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 4.71 करोड़ रुपये तथा 13 वाहन प्रदान किए हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना की विशिष्टता है कि वालंटियर भी अपने आपको योजना के अन्तर्गत पंजीकृत करवा सकते हैं।

परिवहन विभाग के नियंत्रण में बनेगा रोप-वे तथा रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकास निगम

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कांगड़ा जिला के धर्मशाला में 10-11 जून, 2019 को आयोजित किए जाने वाले प्रस्तावित 'हिमाचल प्रदेश निवेशक सम्मेलन 2019' के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ को राष्ट्रीय सहभागी के रूप में चयन करने का फैसला लिया गया। भारतीय उद्योग परिसंघ इस आयोजन की सफलता के लिए आवश्यक सहायता समर्थन तथा सेवा प्रदान करेगा।

मंत्रिमण्डल ने हि.प्र. सचिवालय में राजस्व विभाग के अन्तर्गत हि.प्र. आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण तथा राज्य कार्यान्वयन समिति के सहयोग के लिए आपदा प्रबन्धन निदेशालय सृजित करने का निर्णय लिया। इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 34 पदों का भी सृजन किया गया।

मंत्रिमण्डल ने राज्य में सभी रज्जू मार्गों तथा मास रैपिड परिवहन प्रणाली परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी करने तथा परियोजनाओं को पीपीपी/बीओटी/ ईपीसी आधार पर अपनाने के लिए परिवहन विभाग के नियंत्रण में राज्य में रोप-वे तथा रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकास निगम बनाने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने मौजूदा अधिनियम की कमियों को दूर करने तथा इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए जमाकर्ताओं के हितों (वित्तीय प्रतिस्थापनाओं में) के लिए संरक्षण अधिनियम, 1999 में आवश्यक संशोधन करने को अपनी मंजूरी प्रदान की।

विशेष रूप से युवाओं में नशीली दवाओं के दुरूपयोग की समस्या से निपटने के लिए मंत्रिमण्डल ने नशीले पदार्थों से जुड़े अपराधों को और अधिक कठोर बनाने के लिए नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस (हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक), 2018 लाने का फैसला लिया।

मंत्रिमण्डल ने राष्ट्र, राज्य अथवा अपने सम्बन्धित क्षेत्रें में विशिष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों को उनकी सम्बन्धित ग्राम पंचायतों में 'ग्राम गौरव पट्ट' लगाने के लिए दिशा निर्देशों को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मुख्यालय शिमला में परियोजना प्रबन्धन इकाई के सृजन का निर्णय लिया और इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 25 पदों के सृजन को भी स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग की 517 जलापूर्ति तथा सिंचाई योजनाओं के संचालन के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसी से 2322 कर्मियों को आउटसोर्स करने के लिए सैद्धान्तिक मंजूरी प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने अपातकालीन स्थितियों का सामना करने के लिए राष्ट्रीय अपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली के अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक जिले के लिए 13 बोलेरो वाहन खरीदने का भी निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के दृष्टिगत राज्य के राष्ट्रीय राजमार्गों पर 59 स्थानों में एल-2/एल-14 शराब के ठेके खोलने का निर्णय लिया।

बैठक में पंचायती राज विभाग में अनुबन्ध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से पंचायत निरीक्षकों के छः रिक्त पदों को भरने का निर्णय लिया गया। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में अनुबन्ध आधार पर सीधी भर्ती के माध्य से निरीक्षक ग्रेड-1 के तीन पदों का भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। विभाग में जिला नियंत्रक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के एक पद सृजन को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

260 तरह के काम मनरेगा में शामिल:सरवीन

शिमला/शैल। शहरी विकास, आवास एवं नगर नियोजन मंत्री सरवीन चौधरी ने कहा कि मनरेगा योजना की गांव के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में बड़ी भूमिका है तथा मनरेगा का आकार बढ़ा कर अब इसके तहत 260 प्रकार के काम शामिल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मनरेगा बड़ी महत्वपूर्ण योजना है तथा रोजगार सृजन का कार्यक्रम इसके तहत चल रहा है। जरूरी है कि सभी लोगों विशेषकर जनप्रतिनिधियों को मनरेगा के तहत शामिल 260 प्रकार के कार्यों की जानकारी हो। उन्होंने सम्बधित विभाग को जनप्रतिनिधियों को इन कार्यों की जानकारी देने वाली शिक्षा सामग्री उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए।

सरवीन धर्मशाला में जिला परिषद सभागार में आयोजित काँगड़ा जिला की विकास योजना एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं। बैठक में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत गरीबी उन्मूलन एवं मनरेगा के तहत रोजगार सृजन, पंचायती राज, किसानों की सहयता एवं भूमिहीनों को जमीन उपलब्ध करवाने, श्रम कल्याण, खाद्य सुरक्षा एवं लक्षित सार्वजनिक वितरण, आवास योजना, शुद्ध पेयजल, ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति कल्याण, महिला विकास, बाल विकास, युवा विकास, पर्यावरण संरक्षण एवं वनीकरण, सामाजिक सुरक्षा, प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना, ग्रामीण क्षेत्रों का विद्युतीकरण, पिछड़े क्षेत्रों का विकास और ई गवर्नेंस से जुड़े बिन्दुओं पर चर्चा एवं इनसे जुड़ी योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की गई।

इसके अलावा शहरी विकास मंत्री जिला में विकास में जन सहयोग, पिछड़ा क्षेत्र उप योजना, मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना एवं नाबार्ड की योजनाओं की प्रगति का भी जायजा लिया।

इस दौरान सरवीन चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के

नेतृत्व में प्रदेश सरकार प्रत्येक क्षेत्र के संतुलित विकास पर बल दे रही है। उन्होंने अधिकारियों को यह तय बनाने को कहा कि पंचायतों को विकास के लिये दिया गया धन प्रत्येक वार्ड में पहुंचे। जनप्रतिनिधियों को नई योजनाओं की जानकारी दें एवं प्रचार सामग्री जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध करवाएं।

उन्होंने पंजायती राज संस्था के सभी जनप्रतिनिधियों से विकास योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने में सक्रिय सहयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वे संबंधित विधायक के माध्यम से अपने गांवों के जन-आवश्यकता के कामों को प्राथमिकता में डलवाने का प्रयास करें। सभी मंचों पर अपनी शिकायतें अवश्य रखें ताकि व्यवस्था में सुधार होता रहे।

शहरी विकास मंत्री ने बैठक में सौभाग्य योजना का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार देश में प्रत्येक घर में बिजली पहुंचाने के लिए वचनबद्ध है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने सौभाग्य योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पात्र लोगों को मुफ्त बिजली कनेक्शन उपलब्ध करवाया जा रहा है।

बैठक की कार्यवाही का संचालन करते हुए उपायुक्त संदीप कुमार ने अवगत करवाया कि जिला में ऐसे लोग जिनके पास घर बनाने लायक जमीन नहीं है, उन्हें प्राथमिकता पर जमीन उपलब्ध करवाई जा रही है। ऐसे सभी लोग संबंधित तहसीलदार, एसडीएम अथवा उपायुक्त कार्यालय में सादे कागज पर आवेदन कर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने शहरी विकास मंत्री को विश्वास दिलाया कि जिला प्रशासन बैठक में प्रस्तुत सुझावों पर गौर करेगा एवं निर्देशों की अनुपालना तय बनाएगा।

शिमला के कोचिंग सेंटरों पर छापेमारी

शिमला/शैल। राजधानी शिमला में सरकार की नाक के नीचे अरसे से कर चोरी कर रहे कोचिंग सेंटरों पर छापेमारी कर कराधान विभाग ने इन सेंटरों पर 36 लाख रुपए कर वसूली का फरमान जारी किया व जुर्माना लगाया हैं। ये कोचिंग सेंटर छात्रों से लाखों रुपयों की फीस वसूल रहे थे लेकिन सरकार के खजाने में बतौर जीएसटी एक पैसा भी जमा नहीं कर रहे थे। ऐसे में शिकायत मिलने पर विभाग के अधिकरियों के मुताबिक राजधानी में आइएएस, एचएएस, आईटीआई, एमबीबीएस पीओ व बाकी प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग देने वाले कोचिंग सेंटरों पर 23 अगस्त को एक साथ छापेमारी की गई थी।

छापेमारी के दौरान इनसे सारे कागजात लिए गए व कागजातों का अध्ययन करने पर पाया गया कि दो संस्थानों को छोड़ कर बाकी जीएसटी अदा नहीं कर रहे हैं। इन्हें नोटिस भेजे गए तो इस संस्थानों ने जवाब दिया कि वह तो शैक्षणिक काम कर रहे हैं। ऐसे में वह जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं।

संयुक्त आयुक्त आबकारी व कराधान विभाग सुनील कुमार ने कहा कि ये संस्थान 22 लाख रुपए जमा करा चुके हैं और बाकी बकाया रकम जमा कराने के लिए इन्होंने दो दिसंबर तक का समय मांगा हैं।

विभाग ने कोचिंग सेंटरों के नामों का खुलासा नहीं किया हैं। विभाग के अधिकारियों का कहना है ऐसा विभाग की नीति के मुताबिक किया गया है।

अधिकारियों के मुताबिक ए एस विद्यामंदिर और एस्पायर आईआईटी अकादमी शिमला के दस्तावेजों के पड़ताल करने पर इनके कागजात सही पाए गए व यह कर भी जमा कर रहे थे। बाकी सारा पैसा जेब में डाल रहे थे।

'मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना' दर्शाती कान्ता देवी की सफलता की कहानी

शिमला/शैल। भोर में, सूर्य की प्रथम किरण के साथ कुछ आखें स्वावलम्बन के सपनों को साकार करने की चमक के साथ खुलती है कुछ पग अपने परिवारों की आर्थिक दशा को मजबूत करनें के लिए जंगल की ओर रुख करते हैं। कुछ हाथ आत्मनिर्भता की तस्वीर को रंग भरने के लिए घास की सूखी तीलियों और 'टोर' व 'त्रम्बल के हरे पत्तों को संग्रहित करते हैं।

जब सभी प्रक्रियाएं एक साथ पूर्ण होती है तब एकाएक गरीब परिवारों के चेहरों पर मुस्कान के साथ आशा का दीप उनके जीवन में खुशियां बिखेरने को आतुर होने लगता है। परिवार के बेहतर भविष्य की परिकल्पना को मूर्तरूप देने वाली बिलासपुर जिला के घुमारवीं विकास खण्ड की पंचायत पट्ट के गांव कोटला के स्वयं सहायता समुह 'मुस्कान' की ग्रामीण महिलाओं ने स्वरोजगार के क्षेत्र में जो तीन वर्ष पूर्व पहल की थी उससे न केवल आत्म निर्भरता के द्वार खोल कर वह समाज में प्रेरणा का स्त्रोत ही बनी है अपितु प्राचीन परम्पराओं के संरक्षण और मानव जीवन को कैंसर जैसी भंयकर बीमारियों से बचाने का सशक्त जरिया भी बनी है।

बरठीं गांव की कान्ता देवी जब गांव कोटला में व्याह कर आई तो परिवार की आर्थिक स्थिति सन्तोषजनक नहीं थी। कान्ता देवी को जहां भविष्य में बढ़नें वाले अपने परिवार के भरण-पोषण की चिन्ता सतानें लगी। वहीं गांव के अन्य ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति भी उन्हें कुछ विशेष अच्छी नहीं लगी। कान्ता देवी अपने गांव की महिलाओं के उत्थान और सामुहिक रूप से आजीविका के सरल मार्ग तलाशनें को सदैव प्रयासरत रहती लेकिन कोई उचित राह उन्हें दिखाई नही पड़ रही थी। एक तो गांव की महिलाएं अधिक पढ़ी-लिखी नहीं थी उस पर पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करती और उम्र दराज होने के कारण वह कोई भारी व जटिल कार्य करने में सक्षम नहीं थी।

आत्मनिर्भरता के सपने बुनती कान्ता देवी को जब खण्ड विकास

अधिकारी कार्यालय घुमारवीं की एल. एस.ई.ओ निर्मला भाटिया ने स्वयं सहायता समूह बनाकर सामुहिक रूप से कार्य करने को प्रेरित किया तो कान्ता देवी को अपने प्रयास फलीभूत होते नजर आने लगे। उन्हें आशा बन्धी कि अब उनके साथ-साथ अन्य ग्रामीण परिवारों का भविष्य भी आर्थिक दृष्टि से बेहतर हो जाएगा।

तीन वर्ष पूर्व राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत दस महिलाओं का 'मुस्कान' नाम से स्वयं सहायता समुह बनाया गया। परिवारों की आर्थिक स्थिति अत्यन्त कमजोर होने के कारण ऐसा व्यवसाय अपनाने में सहमति हुई। जिस में निवेश राशि तो कम हो ही साथ में तैयार उत्पादों की बिक्री भी सरलता से सम्भव हो सके। जिला ग्रामीण विकास अधिकरण विभाग ने इन महिलाओं को धार्मिक अनुष्ठानों, धर्मो और समारोहों इत्यादि में खाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली 'टोर' व 'त्रम्बल' की पतलों व डोनों को निर्मित करने का न केवल मार्ग सुझाया बल्कि पारम्परिक रूप से पतलें बनाने वाली बुजुर्ग महिलाओं से प्रशिक्षण भी दिलवाया तथा व्यवसाय को बढाने के लिए 15 हजार रूपए की परिक्रमा राशि भी उपलब्ध करवाई।

आज मुस्कान स्वयं सहायता समुह की उम्रदराज 75 वर्षीय रामेश्वरी, 63 वर्ष की कमला के इलावा 43 वर्ष की तरुणा, 49 वर्ष की निर्मला, 38 वर्ष की सुनीता, 45 वर्ष की सन्तोष कुमारी, 33 वर्षीय अनुपमा इत्यादि महिलाओं के साथ नई पीढ़ी की युवा बच्चियां भी अपनी उंगालियों के हुनर के साथ न केवल पतले-डोनें व झाडू बनाकर सन्तोषजनक कमाई ही कर रही हैं बल्कि प्लास्टिक और थर्मोकोल से होने वाली कैंसर जैसी भंयकर बीमारियों से मानव जीवन को बचाने का कल्याणकारी कर्तव्य भी निभा रही है।

यूं तो मुस्कान समूह की महिलाएं अब प्रतिदिन अपने-अपने घरों में फुर्सत के समय पतले, डोने और झाडू बनाती रहती है लेकिन हर रविवार प्रात: यह महिलाएं जंगलों से टोर और त्रम्बल के पत्ते संग्रहित करके लाती है और पूर्ण आस्था और विधि विधान से पूजा अर्चना कर के सामुहिक रूप से अपने उत्पादों को बनाती है। यह महिलाएं हर रविवार को निर्धारित अलग-अलग सदस्या के घर में जाकर न केवल अपने उत्पाद ही निर्मित करती है अपितु सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के विषय में भी चर्चा करती है और प्राप्त जानकारियों को गांव की अन्य महिलाओं के साथ सांझा भी करती है।

अब मुस्कान स्वयं सहायता समूह ग्राम संगठन आशा दीप से जुड़ गया है तथा जिला स्तरीय व्यासपुरा फैडरेशन के घुमारवीं ब्लाक फैडरेशन (मातृ शक्ति) में भी शामिल होने के चलते इस स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों को जहां स्थाई रूप से 'घुमारवीं ग्रामीण हाट' में बिक्री के लिए स्थान मिल गया है वहीं समुह के सदस्यों को जिला व बाहरी क्षेत्रों में उत्पादित वस्तुओं की निर्माण तकनीक को सीखनें के अवसर भी सुलभ हो रहे है।

कान्ता देवी ने हाल में जिला ऊना में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में हैदराबाद से आए प्रशिक्षकों से मशीन द्वारा पतलो और डोने बनाने की सुधरी विधि व मशीन का तकनीकी ज्ञान प्राप्त किया है।

कान्ता देवी का कथन है कि 'प्रदेश सरकार के थर्मोकोल से बनें कप प्लेटो के प्रयोग को पूर्णतया प्रतिबन्धित लगाने से उनके व्यवसाय को संजीवनी मिल गई है। अब थर्मोकोल के प्रतिबन्ध का प्रतिफल यह है कि पतलों और डोनों की मांग एकाएक बढ़ गई है। प्रधानमंत्री स्वावलम्बन योजना के अंतर्गत पत्तों की पतलों और डोनों को बनाने की मशीन को गांव कोटला में स्थापित करने के लिए हैदराबाद की कम्पनी से बात चल रही है।' शीघ्र ही 'मुस्कान' समुह जिला की अन्य महिलाओं के जीवन में भी मुस्कान लाने के लिए प्रयासरत है। पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ मानव जीवन की दिशा में निसंदेह मुस्कान स्वयं सहायता समुह के प्रयास अनुकरणीय है।

गृहिणी सुविधा योजना महिलाओं के लिए वरदान

शिमला/शैल। महिला सशक्तिकरण दिशा में आरंभ की गई गृहिणी सुविधा योजना के सार्थक परिणाम सामने आने लगे हैं। इस योजना से प्रदेश की हजारों महिलाओं को लाभ पहुंच रहा है। योजना से न सिर्फ गृहिणियों को चूल्हे से निकलने वाले धुएं से राहत मिली है, बल्कि उन्हें जंगल से लकड़ियां एकत्र करने से भी छुटकारा मिला है।

योजना से लाभान्वित हुई मंडी जिले की करसोग तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत भनेरा, गांव काओ की जमुना देवी व मंगली देवी, ग्राम पंचायत सानणा का कहना है कि गरीबी के कारण वे गैस नहीं खरीद पा रही थी, लेकिन सरकार द्वारा निशुल्क उपलब्ध करवाई गई गैस सिलेंडर व चूल्हे से उन्हें राहत मिली है। इस योजना से सरकार की महिलाओं के प्रति सम्मान दर्शाने के साथ पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक सौन्दर्य को बनाए रखने की मंशा झलकती है। इस योजना के तहत मंड़ी ही नहीं अपितु प्रदेश की हजारों महिलाओं को धुंआ रहित रसोई की सुविधा प्राप्त हो रही है।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रयासरत प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना सफलता के नए आयाम स्थापित कर रही है। प्रदेश भर में आरंभ की गई यह योजना धीरे-धीरे अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है और करीब 66 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग रसोई गैस का सिलेंडर, आईएसआई मार्क वाला स्टोव, सुरक्षा पाईप व रेगुलेटर निशुल्क उपलब्ध करावा जा रहा है। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने 26 मई 2018 को इस योजना का शुभारंभ शिमला से किया था।

महिला सशक्तिकरण के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण राज्य सरकार की इस योजना का विशेष उद्देश्य है। गृहिणी सुविधा योजना से महिलाओं को रसोई के लिए लकड़ी इकट्ठा करने व चूल्हे के धुएं से मुक्ति मिल रही है। योजना के तहत उन परिवारों को लाया गया है, जो केंद्र सरकार की उज्जवला योजना के अन्तर्गत लाभ नहीं ले पा रहे थे।

प्रदेश सरकार की यह योजना महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। गृहणियां लकड़ी ढोने से राहत तथा धुएं से निरोगी होकर आराम से अपने दैनिक कार्य पूरे कर पा रही हैं।

करसोग विधानसभा क्षेत्र के विधायक हीरालाल, की अध्यक्षता में इस योजना के तहत ऐसी सभी पात्र गृहणियों को पांच चरणों में 520 गैस कुनेक्शन मुफ्त में वितरित किये गए हैं। प्रथम चरण में ग्राम पंचायत लोअर करसोग, सानणा, भन्थल, भनेरा, खड़कन, डबरोट, दच्छैण, सनारली, मत्तेहल, भडारनू , नगर पंचायत करसोग, मैण्डी तथा बगैला सहित 13 पंचायतों में 125 गैस कुनेक्शन वितरित किये गए।

दूसरे चरण में ग्राम पंचायत केलोधार, रिच्छणी, ठाकुर ठाना, पोखी, सेरी, खादरा, बाड़ीधार, शाहोट तथा वाड़ीधार में 74 गैस कुनैक्शन, तीसरे चरण में ग्राम पंचायत पांगना, कलाशन, शोरता, सरही तथा मशोग में 59 कुनैक्शन, चौथे चरण में ग्राम पंचायत चुराग, काण्डा, मैहरन, बेलरधार, काणु, बलिण्डी, माहूनाग, मनोला-नराश, बखरौट, सरत्योड़ा, सैन्धल, बगशाड, सपनोट, शोरसन तथा खील में 142 कुनैक्शन, पांचवें चरण में ग्राम पंचायत तेवन, सराहन, कुठेड़, ग्वालपुर 58 गैस कुनैक्शन वितरित किए गए। इसके अतिरिक्त विधान सभा क्षेत्र करसोग के अर्न्तगत ग्राम पंचायत ततापानी, सावींधार, शाकरा, थली, तथा परलोग ग्राम पंचायतों में 62 गैस कुनैक्शन गृहणी सुविधा योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त में वितरित किए गए।

वर्तमान में करसोग गैस एजेंसी के माध्यम से करसोग विधान सभा क्षेत्र की 54 पंचायतों के अतिरिक्त सिराज विधानसभा की 8, नाचन विधान सभा की 4 तथा सुन्दनगर विधान सभा की 6 पंचायतों की महिलाओं को भी इस योजना के तहत गैस वितरित की गई है।

बीरचन्द मैहता, प्रभारी गैस एजेंसी करसोग ने बताया कि वर्तमान में गृहिणी सुविधा योजना सहित अन्य सभी 28,161 उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 23 स्थानों पर रसोई गैस वितरित की जाती है जिनमें विधानसभा क्षेत्र सिराज, नाचन, सुन्दरनगर के भाग भी आते हैं।

हिमाचल सरकार स्कूलों में देगी योग शिक्षा:भारद्वाज

शिमला/शैल। शिक्षा, संसदीय मामले तथा विधि मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अगले शैक्षणिक सत्र से योग को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाएगा। सुरेश भारद्वाज देश के प्रथम 'न्यूरोसाईस एण्ड मेटा स्किल्स रिसर्च सैंटर' का शुभारम्भ करने के उपरांत उपस्थित छात्रों, अभिभावकों एवं विषय विशेषज्ञों को संबोधित कर रहे थे।

यह रिसर्च सैंटर आई-मेमोरी स्कूल फाऊडेशन द्वारा हिमाचल शिक्षा संस्थान के सहयोग से आरम्भ किया गया है। उन्होंने कहा कि न्यूरोसाइंस एवं मेटा स्किल्स भी मूल रूप से ध्यान की विभिन्न अवधारणों पर कार्य करती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जहां अगले शैक्षणिक सत्र से विद्यालयों में योग को विषय के रूप में आरंभ करेगी वहीं न्यूरोसाइंस एवं मेटा फिजिक्स को विषय के रूप में आरंभ करने की संभावनाओं का भी पता लगाएगी।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में देश में द्वितीय स्थान पर है और प्रदेश सरकार यह प्रयास कर रही है कि न केवल हिमाचल को शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान पर स्थापित किया जाए अपितु युवाओं को उनके घरद्वार के समीप गुणात्मक शिक्षा भी उपलब्ध हो।

सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश के विद्यालयों में दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। हमारे पास प्रशिक्षित प्राध्यापक हैं और प्रदेश सरकार राजकीय विद्यालयों में बेहतर अधोसंरचना उपलब्ध करवाने पर ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगता अभिशाप नहीं है और सभी दिव्यांग बच्चों में विलक्षण प्रतिभा छुपी होती है। इस प्रतिभा को निखारकर दिव्यांगजनों को समाज को राह दिखाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि न्यूरोसाईस एण्ड मेटा स्किल्स की तकनीक शिक्षा के क्षेत्र में लाभदायक सिद्ध होगी।

सुरेश भारद्वाज ने इस अवसर पर विशेष प्रतिभा वाले छात्रों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। उन्होने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले छात्रों को अपनी ऐच्छिक निधि से 11 हजार रुपये प्रदान करने की घोषणा की।

दिव्यांगों के विकास को समर्पित राष्ट्रीय संगठन सक्षम के राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉ. सुकुमार ने इस अवसर पर कहा कि विकलांगता के संबंध में सभी को अपना दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि विकलांगता में योग्यता को चिन्हित कर व्यक्ति को सक्षम बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमारी शिक्षा पद्धति में आधुनिक तकनीक का समावेश आवश्यक है और न्यूरोसाईस एण्ड मेटा स्किल्स रिसर्च सेंटर इस दिशा में सहायक सिद्ध होगा।

हिमाचल शिक्षा संस्थान की अध्यक्ष एवं भाजपा की राष्ट्रीय महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष रश्मिधर सूद ने मुख्यातिथि का स्वागत किया तथा न्यूरोसाईस एण्ड मेटा स्किल्स रिसर्च सेंटर की विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि आई मेमोरी स्कूल फाउंडेशन ने सक्षम के साथ मिलकर दिव्यांग शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र की शुरूआत की है। इसके माध्यम से देश में सभी तरह के दिव्यांगों का मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाएगा। इस कार्य में लर्निंग डिस्ऑर्डज एससोसिएशन अमेरिका का पूर्ण सहयोग रहेगा।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

फिर खुलेगा एम्टा प्रकरण, पावर कॉरपोरेशन से लेकर सचिवालय तक होगी पूछताछ

शिमला/शैल। क्या एम्टा प्रकरण फिर खुलेगा और इसके लिये जिम्मेदार अधिकारी नपेंगे। यह सवाल इन दिनों फिर से चर्चा में आ गया है। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई को कोल ब्लॉक्स के आवंटन की जांच शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिये हैं स्मरणीय है कि 2012 में कोल ब्लॉक्स के आवंटन में भ्रष्टाचार होने के आरोप लगे थे और इस पर जांच की मांग को लेकर एक याचिका सर्वोच्च न्यायालय में आ गयी थी। इस याचिका पर सुनवाई के बाद कोल ब्लॉक्स की जांच सीबीआई को सौंप दी गयी थी और नवम्बर 2012 में ही भारत सरकार ने यह आवंटन रद्द कर दिया था लेकिन 2012 से लेकर अब तक इस मामले की जांच रिपोर्ट सामने नहीं आ पायी है। बल्कि सीबीआई के निदेशक रहे रंजीत सिन्हा पर इस जांच को प्रभावित करने के आरोप लगे थे। इन्ही आरोपों के चलते सर्वोच्च न्यायालय ने रंजीत सिन्हा के खिलाफ भी जांच आदेशित कर दी थी और इसकी जिम्मेदारी निदेशक सीबीआई को दी गयी थी। लेकिन सीबीआई ने न तो अपने पूर्व निदेशक के खिलाफ ही जांच को आगे बढ़ाया और न ही कोल ब्लॉक्स के आवंटन पर। अब सर्वोच्च न्यायालय ने इसका कड़ा संज्ञान लेते हुये यह जांच शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिये हैं। इन निर्देशों के परिणामस्वरूप ही यह उम्मीद बंधी है कि हिमाचल में एम्टा के माध्यम से जो थर्मल पावर लगाये जाने का एमओयू हस्ताक्षरित हुआ था और उसमें करोड़ो का निवेश भी हो गया था जबकि हकीकत में वहां पर ऐसा कुछ था ही नहीं और प्रदेश का यह पैसा कुछ अफसरशाहों की बदौलत डूब गया है। इसमें जिम्मेदार लोगों के खिलाफ गाज गिरेगी।

गौरतलब है कि वर्ष 2006 में हिमाचल सरकार ने भी संयुक्त क्षेत्र में सितम्बर 2006 में एक थर्मल पावर प्लांट लगाने का फैसला लिया था। इसके लिये इन्फ्रास्ट्रक्चर बोर्ड के माध्यम से निविदायें मांगी गयी। इसमें छः पार्टीयों ने आवेदन किया लेकिन प्रस्तुति पांच ने ही दी। इसमें से केवल दो को शार्ट लिस्ट किया गया और अन्त में एम्टा के साथ ज्वाइंट बैंचर हस्ताक्षरित हुआ। क्योंकि एम्टा ने पंजाब और बंगाल में थर्मल प्लांट लगाने के अनुभव का दावा किया था। इस दावे के आधार पर जनवरी -फरवरी 2007 में एम्टा के साथ एमओयू साईन हो गया और 48 महीने में इसके पूरे होने का लक्ष्य रखा गया। इसके लिये निविदायें अधोसंरचना बोर्ड के माध्यम से मांगी गयी थी लेकिन एमओयू साईन होने के समय इसमें बोर्ड की जगह पावर कारपोरेशन आ गयी थी। अब प्लांट के लिये कोल ब्लॉक चाहिये था जो कि एम्टा के पास था नहीं। इसके लिये एम्टा ने जेएस डब्ल्यू स्टील को अपना पार्टनर बनाया। एम्टा और पावर कारपोरेशन में 50-50% की हिस्सेदारी तय हुई थी। ऐसे में एम्टा और जे एस डब्ल्यू स्टील के मध्य कितनी हिस्सेदारी तय हुई और उसका पावर कारपोरेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसको लेकर रिकार्ड में बहुत कुछ स्पष्ट नही है। एम्टा और जेएस डब्ल्यू स्टील ने मिलकर भारत सरकार से गौरांगढ़ी में कोल ब्लाक हासिल कर लिया। इसके लिये एम्टा और जेएस डब्ल्यू स्टील में मई 2009 में एक और सांझेदारी साईन हुई। एम्टा और जेएस डब्ल्यू स्टील को कोल ब्लाक आंवटित करवाने के लिये वीरभद्र ने एक ही दिन में विभिन्न मन्त्रालयों को पांच सिफारिशी पत्र लिखे हैं लेकिन यह सब कुछ होने के बाद नवम्बर 2012 में कोल ब्लाक्स का आंवटन ही भारत सरकार ने रद्द कर दिया।

जब भारत सरकार ने यह आवंटन नवम्बर 2012 में रद्द कर दिया तब उसके बाद दिसम्बर 2012 में ही एम्टा के निदेशक मण्डल की बैठक हुई और इस बैठक में फैसला लिया गया कि इसमें और निवेश न किया जाये। एम्टा के साथ जो एमओयू 2007 में साईन हुआ था उसके मुताबिक एम्टा को दो करोड़ की धरोहर राशी पावर कारपोरेशन में जमा करवानी थी जो कि समय पर नही हुई। जब 2012 में कोल ब्लाक का आवंटन रद्द हो गया और एम्टा के निदेशक मण्डल ने भी इसमें और निवेश न करने का फैसला ले लिया तो फिर 26 दिसम्बर 2012 को पावर कारपोरेशन ने इसमें 40 लाख का निवेश क्यो किया? यही नहीं इसके बाद 9-5-2013 को 20 लाख का और निवेश इसमें कर दिया गया। पावर कारपोरेशन के इस निवेश के बाद 26 नवम्बर 2014 को एम्टा ने फिर फैसला लिया कि जब तक विद्युत बोर्ड पावर परचेज़ का एग्रीमेंट नही करेगा तब तक इसमें निवेश नही करेंगे। अन्त में मार्च 2015 में बोर्ड ने यह एग्रीमेंट करने से मना कर दिया और इसी के साथ थर्मल प्लांट लगाने की योजना भी खत्म हो गयी।

इस पूरे प्रकरण में यह सवाल उभरते हैं कि जब निविदायें अधोसंरचना बोर्ड के नाम पर मंगवाई गयी तो फिर एमओयू के समय पावर कारपोरेशन कैसे आ गयी? जब एम्टा का चयन किया गया तब उसके अनुभव के दावों की पड़ताल क्यों नही की गयी? इसमें जेएस डब्ल्यू स्टील की एन्ट्री कैसे हो गयी। एम्टा से दो करोड़ क्यो नहीं लिये गये? जब एम्टा ने नवम्बर 2012 में ही इसमें कोई निवेश न करने का फैसला ले लिया था फिर दिसम्बर 2012 और मई 2013 में किसके कहने पर 60 लाख का निवेश कर दिया। एम्टा के साथ हुए एमओयू के मुताबिक यह प्लांट 2010 के अन्त तक तैयार हो जाना था। लेकिन इसके लिये जेएस डब्ल्यू स्टील के साथ एम्टा की हिस्सेदारी कोल ब्लाक के लिये मई 2009 मे साईन हुई? ऐसे में सवाल उठता है कि पावर कारपोरेशन का प्रबन्धन 48 माह में इस प्लांट के लग जाने के लिये समय समय पर क्या पग उठा रहा था जबकि उसके साथ एमओयू जनवरी 2007 में हो गया था। उसी दौरान पावर कारपोरेशन में एमडी डा. बाल्दी आ गय थे। यह उस समय देखा जाना चाहिये था कि एम्टा जो अनुभव के दावे कर रहा है उसकी प्रमाणिकता क्या है। एम्टा के अपने पास जब कोल ब्लाक था ही नही तो उसे किस आधार पर चुना गया? क्योंकि जो रिकॉर्ड अब तक सामने आया है उसके मुताबिक एम्टा के दावे भी ब्रेकल जैसे ही रहे हैं। यह करीब 2400 करोड़ का प्लांट लगना था और 2010-11 में पूरा हो जाना था। कोल ब्लाक आवंटन का विवाद 2012 में शुरू हुआ और नवम्बर 2012 में आवंटन रद्द हुए। इसलिये एम्टा जेएस डब्ल्यू स्टील और पावर कारपोरेशन इस विवाद का सहारा लेकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। प्रदेश का करोड़ो का नुकसान इसमें हो चुका है और प्रदेश सरकार को अपना काम चलाने के लिये आये दिन कर्ज लेना पड़ रहा है। ऐसे में क्या जयराम सरकार इस प्रकरण में अपने स्तर पर मामला दर्ज करके जांच शुरू करवाएगी? क्योंकि यह एक संयोग है कि जयराम के प्रधान सचिव एसीएस बाल्दी को इस मामले की पूरी जानकारी है और उनसे इसकी जांच में पूरा सहयोग विजिलैन्स को मिलेगा।

यदि एक को जमीन खरीद के बाद 118 की अनुमति मिल सकती है तो दूसरे को क्यों नहीं

शिमला/शैल। राजस्व एवम् भूसुधार अधिनियम की धारा 118 में 1988 में संशोधन करके उपधारा 3 जोड़ी गयी थी। इस संशोधन के मुताबिक जो भी जमीन धारा 118 के तहत अनुमति लिये बिना खरीद ली जाती है वह ऐसा सामने आने पर सरकार में विहित हो जायेगी। यह संशोधन 14-4-1988 से लागू हो गया था। इस संशोधन में ही यह प्रावधान कर दिया गया था कि कोई भी रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार ऐसा पंजीकरण नही करेगा जिसमें इसी अधिनियम की उपधारा एक की उल्लघंना की गयी हो। इस संशोधन में यह स्पष्ट कर दिया गया कि धारा 118 के तहत वाच्छित औपचारिकताओं की अनुपालना की सुनिश्चिता यह संबंधित राजस्व अधिकारी करेंगे। यह मूल अधिनियम 1972 से लागू है और इसमें यह प्रावधान किया गया कि कोई भी गैर कृषक प्रदेश में सरकार की अनुमति के बिना जमीन नही खरीद सकता। यह इस अधिनियम की धारा 118 में दर्ज है लेकिन इसमें राजस्व अधिकारियों की सीधी जिम्मेदारी नही लगायी गयी थी क्योंकि इसमें उपधारा तीन उस समय थी ही नही। लेकिन राजस्व अधिकारी राजस्व नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे इसके लिये समय समय पर स्टैण्डिंग आर्डर जारी होते रहे हैं। इसका उद्देश्य यह रहा था कि यदि किसी खरीददार को धारा 118 के तहत अनुमति लेने की अनिवार्यता का पता नहीं है तो यह अधिकारी उसे इसकी जानकारी देंगे। लेकिन 14-4-1988 से पहले यह स्पष्ट प्रावधान नही था कि यदि 118 की अनुमति नही है तो ऐसी जमीन सरकार में विहित हो जायेगी।

एक व्यक्ति बलदेव किरण भल्ला ने 1984 में मकान के लिये जमीन खरीदी और उस पर मकान बना लिया उसने 118 में तहत खरीद की अनुमति नही ली थी और रजिस्ट्रार ने उसके बिना ही पंजीकरण कर दिया। रजिस्ट्रार ने 118 के बारे में कोई जिक्र ही नही किया। अब तीस वर्ष बाद इस आदमी की शिकायत हो गयी कि उसने बिना अनुमति के यह जमीन खरीदी है। अब यह आदमी राजस्व अदालतों के चक्कर काट रहा है। इसमें यह दिलचस्प हो गया है कि 118 की अनुमति के बिना रजिस्ट्रार ने जब पंजीकरण कर लिया जब इस व्यक्ति की गलती क्या है। फिर सरकार ने 2002 और 2003 में कुछ लोगों को जमीन खरीद के बहुत बाद 118 की अनुमतियां दी हैं। ऐसे में यह सवाल खड़ा हो जाता है कि जब कुछ लोगों को ऐसी अनुमति दी जा सकती है तो फिर भल्ला को यह अनुमति क्यों नहीं मिल सकती।

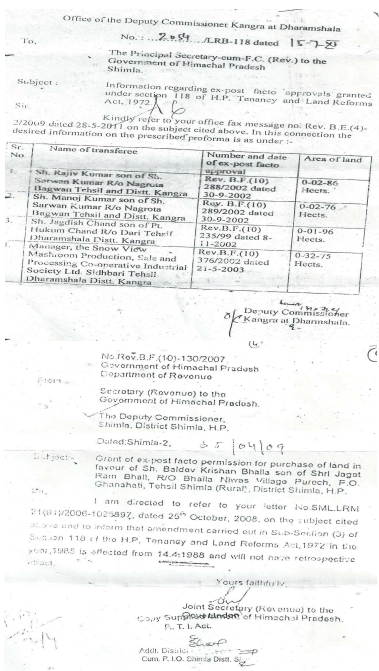

Office of the Deputy Commissioner Kangra at Dharamshala

No.: ...2054.../LRB-118 dated 15-7-11

To,

The Principal Secretary-cum-F.C. (Rev.) to the Government of Himachal Pradesh Shimla.

Subject : Information regarding ex-post facto approvals granted under section 118 of H.P. Tenancy and Land Reforms Act, 1972.

Sir,

Kindly refer to your office fax message no. Rev. B.E.(4)-2/2009 dated 28-5-2011 on the subject cited above. In this connection the desired information on the prescribed proforma is as under :-

Sr. No.	Name of transferee	Number and date of ex-post facto approval	Area of land
1.	Sh. Rajiv Kumar son of Sh. Sarwan Kumar R/o Nagrota Bagwan Tehsil and Distt. Kangra	Rev. B.F.(10) 288/2002 dated 30-9-2002	0-02-86 Hects.
2.	Sh. Manoj Kumar son of Sh. Sarwan Kumar R/o Nagrota Bagwan Tehsil and Distt. Kangra	Rev. B.F.(10) 289/2002 dated 30-9-2002	0-02-76 Hects.
3.	Sh. Jagdish Chand son of Pt. Hukum Chand R/o Dari Tehsil Dharamshala Distt. Kangra	Rev.B.F.(10) 235/99 dated 8-11-2002	0-01-96 Hects.
4.	Manager, the Snow View Mashroom Production, Sale and Processing Co-operative Industrial Society Ltd. Sidhbari Tehsil Dharamshala Distt. Kangra	Rev.B.F.(10) 376/2002 dated 21-5-2003	0-32-75 Hects.

Deputy Commissioner
Kangra at Dharmshala.

No.Rev.B.F.(10)-130/2007
Government of Himachal Pradesh
Department of Revenue

From
Secretary (Revenue) to the
Government of Himachal Pradesh.

To
The Deputy Commissioner,
Shimla, District Shimla, H.P.

Dated:Shimla-2, 25/04/09

Subject:- Grant of ex-post facto permission for purchase of land in favour of Sh. Baldev Krishan Bhalla son of Shri Jagat Ram Bhall, R/O Bhalla Nivas Village Parech, P.O. Ghanahati, Tehsil Shimla (Rural), District Shimla, H.P.

Sir,

I am directed to refer to your letter No.SML.LRM 21(91)/2006-1025897, dated 25th October, 2008, on the subject cited above and to inform that amendment carried out in Sub-Section (3) of Section 118 of the H.P. Tenancy and Land Reforms Act,1972 in the year,1988 is effected from 14.4.1988 and will not have retrospective effect.

Yours faithfully,

Joint Secretary (Revenue) to the
Government of Himachal Pradesh.

Copy Supplied Under
R. T. I. Act.

Addl. District ...
Cum. P. I.O. Shimla Distt. S...

(3) No Registrar or the Sub-Registrar appointed under the Indian Registration Act,1908 shall register any document pertaining to a transfer of land, which is in contravention to sub-section (1) and such transfer shall be void ab-initio and the land involved in such transfer, if made in contravention of sub-section (1), shall, together with structures, buildings or other attachments, if any, vest in the State Government free from all encumbrances:

Provide that the Registrar or the Sub-Registrar may register any transfer:-

(j) where the lease is made in relation to a part or whole of a building ; or

(ii) where the mortgage is made for procuring the loans for construction or improvements over the land either the Govt. or from any other financial institution constituted or established under any law for the time being in force or recognized by the State Government.

(4) It shall be lawful for the State Government to make use of the land which is vested or may be vested in it under sub-section (2) or sub-section (3) for such purposes as it may deem fit to do so.

केन्द्र के आदेश के परिदृश्य

......पृष्ठ 1 का शेष

सरकार को भेज दिया था। इस पर भारत सरकार ने 22-12-2017 को जो आदेश पारित किया है उसमें भारत सरकार ने चौधरी को केन्द्र में सचिव या उसके समकक्ष नियुक्ति के लिये उपयुक्त नही पाया है। भारत सरकार में इन पदों के लिये अधिकारियों की पात्रता की स्वीकृति एसीसी देती है। एसीसी से पहले केन्द्र के विशेष सचिवों की कमेटी अधिकारी का आकलन करती है। चौधरी का मामला इस सचिव कमेटी के सामने जून 2015 फिर नवम्बर 2015 को आया था और इन्हे इसका पात्र नही माना था। इसके बाद मार्च 2016 और जुलाई 2016 में फिर यह मामला कमेटी के सामने आया लेकिन इस बार कमेटी की राय में कोई बदलाव नही आया। फिर जब कैट के आदेश पर चौधरी ने अपना प्रतिवेदन केन्द्र को भेजा तब फिर 8-11-2017 को सचिव कमेटी ने इस पर पुनः विचार किया लेकिन कमेटी की राय में कोई बदलाव नही आया। पांच बार चौधरी का मामला कमेटी के सामने आ चुका है और हर बार कमेटी ने इसका अनुमोदन नही किया है।

सूत्रों के मुताबिक चौधरी भी प्रदेश के प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के आवेदकों में शामिल हैं। प्रदेश के मुख्य सचिव भी भी रह चुके हैं और मुख्यमन्त्री जयराम के विश्वास पात्रों में भी गिने जाते हैं। बतौर पूर्व मुख्य सचिव वह ट्रिब्यूनल के पद के लिये पात्रता में पहले स्थान पर माने जा रहे हैं। लेकिन भारत सरकार से जो आदेश प्रदेश के मुख्य सचिव को 22-12-2017 को प्राप्त हो चुका है उसके परिदृश्य में क्या कमेटी ट्रिब्यूनल के लिये उनका चयन कर पायेगी इस पर पूरे कर्मचारी वर्ग की निगाहें लगी हुई हैं।